वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से
डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 38] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 16 सितम्बर 2016-भाद्र 25, शके 1938

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

मैं, श्रीमती सीमा तहसीन पत्नि श्री मो. अबरार खान, 25 सीमा मंजिल बड़वाली मस्जिद जहांगीराबाद, भोपाल पर निवास करती हूँ मेरी पुत्री असमा खान के जन्म प्रमाण-पत्र में माता का नाम त्रुटिवश सीमा खान दर्ज हो गया है, जबकि वास्तविक नाम सीमा तहसीन है एवं सभी दस्तावेजों में दर्ज है. अत: मेरी पुत्री के स्कूल रिकार्ड एवं अन्य सभी दस्तावेजों में मेरा नाम सीमा तहसीन पढ़ा जावे.

पुराना नाम :

(सीमा खान)

नया नाम :

(सीमा तहसीन)

(348-बी.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि पहले मेरा नाम गोविन्द प्रसाद गुप्ता था. बैंक की सर्विस में आने के बाद मैंने अपना नाम बदल कर गोविन्द गुप्ता रख लिया है जो कि मेरी बैंक सर्विस के रिकार्ड में भी गोविन्द गुप्ता ही दर्ज है. अत: भविष्य में मुझे गोविन्द गुप्ता के नाम से ही जाना एवं पहचाना जावे.

पुराना नाम :

(गोविन्द प्रसाद गुप्ता)

(GOVIND PRASAD GUPTA)

नया नाम :

(गोविन्द गुप्ता)

(GOVIND GUPTA)
आर. एल. पी. एस. के पास
नजर बाग, दतिया (म.प्र.).

(350-बी.)

CHANGE OF NAME

I, K.M. NISANTH also known as K.M.NISANTH NAMBISAN also known as KANNAM VALLI MADATHIL NISANTH S/o Late Shri K.M.V. Nambisan born on 23-12-1975, R/o-E-11/2, Char Imli, Bhopal-462016, employed as

Reader at Govt. Homeopathic Medical College Bhopal have changed my name to NISANTH KM NAMBISON by an affidavit sworn before the Notary Public, Bhopal on 22-08-2016. Henceforth, I shall be known as NISANTH KM NAMBISON for all purposes.

Old Name :

(K.M. NISANTH)

New Name :

(NISANTH KM NAMBISON)

(349-B.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम शशांक पटेल पिता श्री संतोष पटेल, निवासी मकान नंबर 2/1, वार्ड नम्बर 18, सरदार पटेल कॉलोनी, बुरहानपुर मध्यप्रदेश का निवासी हूँ त्रुटिवश मेरा नाम जन्म प्रमाण-पत्र में शशांक कुमार पिता श्री संतोष कुमार लिखा गया है तथा आज दिनांक के पश्चात् से लोग मुझे शशांक पटेल पिता संतोष पटेल के नाम से जाने तथा पहचाने.

पुराना नाम :

(शशांक कुमार)

नया नाम :

(शशांक पटेल)

निवास-सरदार पटेल वार्ड, बुरहानपुर.

(351-बी.)

उप-नाम परिवर्तन

मैं, रोशन लाल वर्मा घोषणा करता हूँ कि मुझे पहले रोशन लाल साकेत के नाम से जाना जाता था. अब मुझे रोशन लाल वर्मा के नाम से ही जाना-पहचाना जाये.

पुराना नाम :

(रोशन लाल साकेत)

नया नाम :

(रोशन लाल वर्मा)

मकान नं. सी-6/24, श्याम नगर,
हबीवगंज थाना के पास, भोपाल (म.प्र.).

(352-बी.)

CHANGE OF NAME

I, Frankle Suri S/o Late Shri Naresh Suri R/o H. No. 1394 Suri Bhawan Ranjhi, Jabalpur (M.P.) here by declare that I had been known by the name of Subhash Suri from my birth. That I hereby renounce and abandon my former name Subhash Suri and in place of it I do Hereby adopt/assume from this date onwards the name Frankle Suri and I may hereafter be known and distinguished not by my former name but the assumed/adopt name Frankle Suri. That from this day onwards my assumed name will be used in all my school documents, certificates, records, Govt. records, Passport etc. in place of my former name.

Old Name :

(SUBHASH SURI)

New Name :

(FRANKLE SURI)

(362-B.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स कृष्ण गोपाल निर्माण जिसका पंजीयन क्रमांक 01/01/01/00319/11, दिनांक 15-11-2011 है. फर्म के पार्टनर श्री कामता प्रसाद तिवारी आत्मज श्री कृष्णलाल तिवारी एवं श्री राजू तिवारी आत्मज श्री रामस्वरूप तिवारी ने अपनी स्वेच्छा से दिनांक 29-05-2016 से फर्म से पृथक् हो गये हैं इन भागीदारों से फर्म का पूर्ण हिसाब किताब हो चुका है एवं कुछ भी लेना शेष नहीं है एवं फर्म के नये पार्टनर श्री अभिषेक तिवारी आत्मज श्री श्रीराम तिवारी एवं श्री राहुल सिंह आत्मज श्री सुभाष सिंह दिनांक 29-05-2016 से फर्म में पार्टनर के रूप में शामिल हो गये हैं एवं फर्म का पता जो पूर्व में आर. व्ही. इण्ड्स टाउन, होशंगाबाद रोड, भोपाल था परिवर्तित होकर दिनांक 29-05-2016 से शॉप नं. 43, ग्राउण्ड फ्लोर फाईन एवेन्यू कोलार रोड, भोपाल-462042 हो गया है. अत: जिस किसी को आपत्ति हो, तो वहां प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस के अंदर आपत्ति दर्ज करा सकते हैं बाद में आपत्तियां स्वीकार नहीं होंगी.

सुजीत तिवारी,
(भागीदार)
म. नं. 62, विनीत कुंज कोलार रोड,
भोपाल (म.प्र.).

(353-बी.)

आम सूचना

एतद्द्वारा सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मे. गैलेक्सी इन्फ्रास्ट्रक्चर, पता प्रतिपाल परिसर सागर रोड, जिला छतरपुर (म.प्र.) जिसका पंजीयन क्रमांक 06/12/01/00141/12, सन् 2011-12, दिनांक 11-01-2012 है.

यहकि आज दिनांक 15-07-2016 से फर्म में श्रीमती श्वेता बुन्देला नए भागीदार के रूप सम्मिलित हो गई हैं जो आज दिनांक 15-07-2016 से प्रभावशील है साथ ही फर्म के भागीदार श्री इन्द्रविक्रम सिंह बुन्देला आत्मज श्री पृथ्वी सिंह बुन्देला, निवासी सागर रोड, छतरपुर मध्यप्रदेश एवं भागीदार श्रीमती राज बुन्देला पत्नि श्री पृथ्वी सिंह बुन्देला, निवासी सागर रोड, छतरपुर मध्यप्रदेश फर्म की भागीदारी से स्वेच्छा से पृथक् हो गए हैं.

यहकि अब पृथक् हुए भागीदारों से फर्म का कोई सरोकार नहीं रहा एवं फर्म के वास्ते उनसे किया गया संव्यवहार शून्य माना जावेगा. अतः सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है.

मे. गैलेक्सी इन्फ्रास्ट्रक्चर ,
विश्वमित्र बुन्देला,
(अधिकृत भागीदार).

(354-बी.)

जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पक्षकार मै. जय इंटरप्राईजेज एक पार्टनरशिप फर्म है जो कि दिनांक 06-07-2012 को निर्मित हुई थी. जिसका फर्म एण्ड सोसायटी रजिस्ट्रेशन नं. 02/42/01/00109/12 है उक्त फर्म में तीन पार्टनर थे जो कि इस प्रकार हैं:-

1. श्री रविकांत सिंह भदौरिया पुत्र श्री शिव बहादुर सिंह भदौरिया, निवासी H. No.48 के सामने विकास नगर कॉलोनी, ग्वालियर (म.प्र.).
2. सौरभ मित्तल पुत्र स्व. श्री वेद प्रकाश मित्तल, निवासी खिड़की मोहल्ला, किला रोड, ग्वालियर (म.प्र.).
3. संजय कुमार गुप्ता पुत्र स्व. श्री कैलाश नारायण गुप्ता, निवासी पाचिपाड़ा, न्यू डीएबी स्कूल के पास लोहामण्डी, ग्वालियर (म.प्र.)है.

उक्त तीन पार्टनरों में से पार्टनर क्र. 3 श्री संजय कुमार गुप्ता पुत्र स्व. श्री कैलाश नारायण गुप्ता, फर्म से दिनांक 13-07-2016 को रिटायर हो गए हैं.

अतः दिनांक 13-07-2016 के बाद श्री संजय कुमार गुप्ता का उक्त फर्म से कोई लेना-देना नहीं है.

उक्त संबंध में समस्त आमखास को सूचित किया जाता है, कि उक्त विषय में कोई भी व्यक्ति, संस्था, निकाय, बैंक अथवा अन्य कोई भी किसी प्रकार का हित रखता है तो इस विज्ञप्ति के प्रकाशन के 7 दिवस के अन्दर मुझ सूचनादाता को मय सुसंगत दस्तावेजों के अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है. अन्यथा समय अवधि समाप्त होने के पश्चात् मेरे पक्षकार का कोई भी उत्तरदायित्व नहीं होगा तथा आपत्ति प्रभावहीन मानी जावेगी.

द्वारा—
विवेक बाथम,
(एडवोकेट)
पारख जी का बाड़ा, दौलतगंज,
लश्कर ग्वालियर (म.प्र.).

(355-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मे. सिंह एसोसिएट (रजि. नं. 559/06) जो नरेन्द्र नगर, रीवा में स्थित है. दिनांक 31 मार्च, 2011 को श्री विनोद सिंह, श्री अंशुमान सिंह एवं श्री सुनील सिंह पार्टनर रिटायर हो गए हैं व श्रीमती रीता सिंह नए पार्टनर के रूप में शामिल की गई हैं. सर्व-साधारण एवं आमजन सूचित हों.

मे. सिंह एसोसिएट,
अशोक कुमार सिंह,
(पार्टनर)
नरेन्द्र नगर, रीवा (म.प्र.).

(356-बी.)

जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स सौमित्र सिक्युरिटी एजेंसी से दिनांक 1-4-2015 को एक भागीदार श्री रामसिंह जीवनसिंह ने त्यागपत्र दे दिया है. उनके स्थान पर तीन नवीन भागीदार 1. अजय शर्मा, 2. मनीषा शर्मा एवं 3. सावित्री शर्मा को दिनांक 1-4-2015 से सम्मिलित किया गया है.

दिनांक 1-4-2015 से फर्म का पंजीकृत कार्यालय 32, बिरला ग्राम नागदा होगा.

For Saumitra Security Agency,
YASH TIWARI,
(Authorised signatory)

(357-बी.)

जाहिर सूचना

''सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि हमारी फर्म मेसर्स सिद्धि विनायक बिल्डर एण्ड डेवलपर्स, पता-1, प्रेमनगर, माणिक बाग रोड, इन्दौर से हमारे पार्टनर श्री मोहित साहू पिता श्री राजेन्द्र गोपाल सिंह साहू, निवासी 302, गोल्ड रेसिडेंसी, 7/2, मनोरमागंज, इन्दौर की दिनांक 27-09-2015 को मृत्यु हो चुकी है. उनकी उत्तराधिकारी तौर पर उनकी पत्नि श्रीमती नीना साहू दिनांक 27 -09-2015 को पार्टनर बनी थी, अब श्रीमती नीना साहू पति स्व. श्री मोहित साहू, निवासी 302, गोल्ड रेसिडेंसी, 7/2, मनोरमागंज, इन्दौर दिनांक 10-10-2015 को निवृत हो चुकी हैं एवं दिनांक 10-10-2015 को हमारी फर्म में नये पार्टनर के रूप में श्री अजय बंसल पिता श्री बाबूलालजी बंसल, निवासी-92, जावरा कम्पाउण्ड, इन्दौर को सम्मिलित किया गया है''.

वास्ते:—मेसर्स सिद्धि विनायक बिल्डर्स एण्ड डेव्हलपर्स,
GAURAV JAIN,
(Partner).

(358-बी.)

आम सूचना

भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 की धारा-72 के अधीन सूचना-पत्र

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स कुशल गुरू कंस्ट्रक्शन, नरसिंहगढ़, पंजीयन क्रमांक 302, दिनांक 29-09-1995 में से भागीदार श्री सजनमल मेहता पिता श्री चौथमल मेहता का स्वर्गवास दिनांक 12-02-2016 को हो जाने के कारण भागीदारी से स्वत: पृथक् हो गये हैं.

For: Kushal Guru Construction,
दिलीप मेहता,
(भागीदार).

(359-बी.)

PUBLIC NOTICE

NOTIFICATION U/S 72 OF THE INDIAN PARTNERSHIP ACT, 1932

It is Published for general information that due to demise of SMT. SARA BAI AGRAWAL W/O LATE SHRI CHHAGANLAL AGRAWAL R/O INDORE, PADAWA ROAD, KHANDWA (M.P.) the name has been withdrawn w.e.f. 21-03-2003 from partnership named "M/S SANJAY UDHYOG REGD. OFFICE NEAR PRADEEP INDUSTRIES, INDORE PADAWA ROAD, KHANDWA (M.P.) and shri sunil kumar gupta S/o shri ramjilal gupta R/o indore padawa road, khandwa (M.P.) has entered as a new partner w.e.f. 22-03-2003 in the aforesaid firm.

For: M/s Sanjay Udhyog,
PRAMOD KUMAR GUPTA,
(Partner).

(360-बी.)

PUBLIC NOTICE

NOTIFICATION U/S 72 OF THE INDIAN PARTNERSHIP ACT, 1932

It is published for general information that Shri Abhishek Agrawal S/o Shri Pradeep Kumar Agrawal, Indore Padawa Road, Khandwa (M.P.) has joined as a new partners on 01-04-1998 in the firm "M/s Shree Ram Agro Industries 256, Bhairao Talab Ward, Indore Road, Khandwa (M.P.)."

For: "M/s Shree Ram Agro Industries",
PRAMOD KUMAR GUPTA,
(Partner)

(361-बी.)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, लोक न्यास रघुराजनगर, जिला सतना

प्रारूप-क्र. 5

[देखें नियम 5(1)]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 के नियम-5 (1) के द्वारा]

लोक न्यासों के पंजीयक रघुराजनगर, सतना जिला के समक्ष.

अत: मुझे यह प्रतीत होता है कि अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-2 की उपधारा (4) के आशय के अधीन लोक न्यास का गठन करती है.

अब इसलिये मैं, बलबीर रमण लोक न्यासों का पंजीयक रघुराजनगर, सतना जिला मेरे न्यायालय में 2016 के 20 अक्टूबर, 2016 दिवस पर कथित अधिनियम की धारा-5 की उपधारा (1) में यथा अपेक्षित मामले में जांच करने को प्रस्तावित करता हूँ.

एतद्द्वारा सूचना-पत्र दिया गया है कि कथित न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासी या कार्यकारी न्यासी या इसमें हितबद्ध कोई व्यक्ति और आपत्ति या सुझाव देने का आशय रखने वाले को दो प्रतियों में इस सूचना-पत्र के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिये और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिश: अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिये. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जायेगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता तथा सम्पत्ति का विवरण)

लोक न्यास का नाम और पता.—श्री कल्लो शक्तिधाम ट्रस्ट बिहारी चौक, सतना मध्यप्रदेश तहसील रघुराजनगर, जिला सतना (म.प्र.).

सम्पत्तियों का विवरण:

इस न्यास में निम्न सम्पत्तियाँ सम्मिलित हैं :-

चल सम्पत्ति	:	10,000/- रुपये.
अचल सम्पत्ति	:	निरंक.

बलबीर रमण,
रजिस्ट्रार.

(696)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, सार्वजनिक न्यास, अनुविभाग-पुनासा, जिला खण्डवा

प्र. क्र./बी-113(1)/2015-16. दिनांक 10 मई, 2016

[मध्यप्रदेश सार्वजनिक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-5 (2) एवं
मध्यप्रदेश सार्वजनिक न्यास नियम-1962, के नियम-5 (1) के अन्तर्गत]

जैसाकि आवेदक श्री नत्थूसिंह पिता कानसिंह पवार, निवासी अटूटखास प्रबंध ट्रस्टी, निवासी अटूटखास द्वारा स्वयं उपस्थित होकर

आवेदक ने अनुसूची में दर्शित न्यास/सम्पत्ति को सार्वजनिक न्यास के रूप में पंजीयन करने हेतु मध्यप्रदेश सार्वजनिक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-4 के अन्तर्गत एक आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है. एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त आवेदन-पत्र पर मेरे द्वारा न्यायालय में दिनांक 27 मई, 2016 को विचार किया जायेगा.

2. उक्त ट्रस्ट के कार्य अथवा संपत्ति से कोई व्यक्ति यदि हित रखता हो और कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहता हो तो वह इस विज्ञप्ति के प्रकाशन होने के एक माह के भीतर लिखित विवरण दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकता है और वह स्वयं अथवा अधिवक्ता/अभिकर्ता के माध्यम से मेरे समक्ष उपस्थित हो सकता है. समयावधि के समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों पर विचार नहीं किया जायेगा.

अनुसूची

सार्वजनिक न्यास का नाम एवं पता	:	गुरूसिंग सभा अटूटखास मूंदी रोड अटूटखास, तहसील पुनासा, जिला खण्डवा.

अनुसूची ''अ''

चल सम्पत्ति	:	1. 5000/-रु. नगद.

अनुसूची ''ब''

अचल सम्पत्ति	:	निरंक.

जानकी यादव,
अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक.

(712)

न्यायालय पंजीयक, लोक न्यास एवं डिप्टी कलेक्टर, उज्जैन

प्र.क्र. 13/बी-113/2015-16.

उज्जैन, दिनांक 01 सितम्बर, 2016

प्रारूप-चार

[नियम-5 (1) देखिए]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम 1959 (1951 का 30) की धारा-5 की उपधारा (2)

मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम 1962 का नियम-5 (1) देखिए]

पंजीयक,

लोक न्यास,

उज्जैन, जिला उज्जैन के समक्ष.

चूँकि आवेदक ट्रस्टी श्री कल्याणमलजी पिता धन्नालालजी कंकरेचा आदि द्वारा ''श्री सहस्त्रफणा पार्श्वनाथ जैन श्वेताम्बर पारमार्थिक ट्रस्ट उज्जैन'' कार्यालय-36, मुसद्दीपुरा, तहसील व जिला उज्जैन ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-4 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की सम्पत्ति के पंजीयन के लिये आवेदन किया है. एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 30 सितम्बर, 2016 को प्रातः 11.00 बजे स्थान कोठी पैलेस उज्जैन का विचार के लिए लिया जावेगा.

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में की आपत्तियां करने या सुझाव देने का विचार रखता हो उसे इस सूचना लोक न्यास है और उसका गठन करती है.

अतः मैं, पंजीयक, लोक न्यास एवं डिप्टी कलेक्टर, उज्जैन, जिला उज्जैन का लोक न्यासों का पंजीयक अपने न्यायालय में दिनांक 30 सितम्बर, 2016 को उक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा (1) के द्वारा यथा अपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करता हूँ.

अतः एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति का सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करता और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिशः या अभिभाषक या अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिये. उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिए ग्राह्य नहीं किया जाएगा.

अनुसूची

(लोक न्यास की सम्पत्ति का वर्णन तथा लोक न्यास का नाम और पता)

लोक न्यास का नाम	:	श्री सहस्त्रफणा पार्श्वनाथ जैन श्वेताम्बर पारमार्थिक ट्रस्ट उज्जैन.
कार्यालय का पता	:	36, मुसद्दीपुरा, उज्जैन
अचल सम्पत्ति	:	ग्राम दताना, तहसील उज्जैन की भूमि सर्वे क्र. 314 रकबा 1.27 हे., सर्वे क्र. 308 में से रकबा 0.100 हेक्टर एवं सर्वे क्रमांक 307 में से रकबा 0.040 हेक्टर.
चल सम्पत्ति	:	11220/- रु. खाते क्रमांक 11220151298021 की पावती पेश की है.

शितिज शर्मा,
पंजीयक एवं डिप्टी कलेक्टर.

(713)

अन्य सूचनाएं

कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला छतरपुर

छतरपुर, दिनांक 03 अगस्त, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./16/1076.—आम्रपाली महिला उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., छतरपुर (जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है) को इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परि./24, छतरपुर, दिनांक 15 जनवरी, 2013 के द्वारा परिसमापन में लाया जाकर श्री एन. एस. अग्रवाल, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त किया गया था.

उक्त संस्था के परिसमापक श्री एन. एस. अग्रवाल द्वारा संस्था की सम्पूर्ण लेनदारियों एवं देनदारियों का निराकरण कर पंजीयन निरस्ती हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था की सम्पूर्ण लेनदारियों एवं देनदारियों का निराकरण हो जाने तथा संस्था की बैलेन्स सीट निल हो जाने के कारण संस्था के परिसमापक के अन्तिम प्रतिवेदन से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने योग्य है.

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ-1-99-पन्द्रह-1-सी, अन्तर्गत एवं भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के द्वारा पंजीयक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, अखिलेश कुमार निगम, डिप्ट्री रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाऐं, छतरपुर, उक्त आम्रपाली महिला उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., छतरपुर, पंजीयन क्रमांक 824, छतरपुर, दिनांक 15 अप्रैल, 1998 का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निगमित निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 30 जुलाई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(698)

छतरपुर, दिनांक 03 अगस्त, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./16/1077.—सामूहिक कृषि सहकारी समिति मर्या., धामची (जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है) को इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परि./1491, छतरपुर, दिनांक 28 अगस्त, 2014 के द्वारा परिसमापन में लाया जाकर श्री आर. के. शर्मा, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त किया गया था.

उक्त संस्था के परिसमापक श्री आर. के. शर्मा द्वारा संस्था की सम्पूर्ण लेनदारियों एवं देनदारियों का निराकरण कर पंजीयन निरस्ती हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था की सम्पूर्ण लेनदारियों एवं देनदारियों का निराकरण हो जाने तथा संस्था की बैलेन्स सीट निल हो जाने के कारण संस्था के परिसमापक के अन्तिम प्रतिवेदन से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने योग्य है.

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ-1-99-पन्द्रह-1-सी, अन्तर्गत एवं भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के द्वारा पंजीयक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, अखिलेश कुमार निगम, डिप्ट्री रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाऐं, छतरपुर, उक्त सामूहिक कृषि सहकारी समिति मर्या., धामची, पंजीयन क्रमांक 15, छतरपुर, दिनांक 15 सितम्बर, 1950 का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निगमित निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 30 जुलाई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(698-A)

चौक निर्माण सहकारिता मर्या., गुलाट (जिसे आगे केवल ''संस्था''कहा गया) पंजीयन दिनांक से निष्क्रिय होने तथा सदस्यों द्वारा कारोबार में रुचि न लेने के कारण सहायक पंजीयक (अंके.) सहकारी संस्थाएं, छतरपुर के द्वारा परिसमापन में लाये जाने की अनुशंसा की गई थी. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) के प्रतिवेदन के आधार पर संस्था को कार्यालयीन पत्र क्र./परि./2016/494, दिनांक 05 मई, 2016 के द्वारा सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत् परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर एक माह तक जवाब/उत्तर चाहा था. परन्तु संस्था की ओर से दो माह से अधिक समय व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी कोई जवाब/उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही कोई उपस्थित हुआ. इससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था के संचालक मण्डल को कारण बताओ सूचना-पत्र वर्णित आरोपों के संबंध में अपने पक्ष समर्थन में कुछ नहीं कहना है तथा वे संस्था को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही से सहमत हैं. चूंकि संस्था के सदस्यों को संस्था के कार्य संचालन में कोई रुचि नहीं है तथा संस्था विगत तीन वर्षों से अकार्यशील एवं निष्क्रिय है. अत: ऐसी संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, अखिलेश कुमार निगम, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, छतरपुर, चौक निर्माण सहकारिता मर्या., गुलाट को परिसमापन में लाता हूँ तथा सहकारी अधिनियम की धारा-70 (1) के तहत् श्री पी. एस. खुराना, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 03 अगस्त, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(698-B)

मत्स्य उद्योग सहकारी समिति मर्या., बटटसडेरी (जिसे आगे केवल ''संस्था''कहा गया) पंजीयन दिनांक से निष्क्रिय होने तथा सदस्यों द्वारा कारोबार में रुचि न लेने के कारण प्रशासक के द्वारा परिसमापन में लाये जाने की अनुशंसा की गई थी. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) के प्रतिवेदन के आधार पर संस्था को कार्यालयीन पत्र क्र./परि./2016/433, दिनांक 27 अप्रैल, 2016 के द्वारा सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत् परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर एक माह तक जवाब/उत्तर चाहा था. परन्तु संस्था की ओर से दो माह से अधिक समय व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी कोई जवाब/उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही कोई उपस्थित हुआ. इससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था के संचालक मण्डल को कारण बताओ सूचना-पत्र वर्णित आरोपों के संबंध में अपने पक्ष समर्थन में कुछ नहीं कहना है तथा वे संस्था को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही से सहमत हैं. चूंकि संस्था के सदस्यों को संस्था के कार्य संचालन में कोई रुचि नहीं है तथा संस्था विगत तीन वर्षों से अकार्यशील एवं निष्क्रिय है. अत: ऐसी संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, अखिलेश कुमार निगम, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, छतरपुर, मत्स्य उद्योग सहकारी समिति मर्या., बटटसडेरी को परिसमापन में लाता हूँ तथा सहकारी अधिनियम की धारा-70 (1) के तहत् श्री एम. के. रावत, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 03 अगस्त, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(698-C)

साक्षी वस्त्र उद्योग सहकारिता मर्या., दौरिया (जिसे आगे केवल ''संस्था''कहा गया) पंजीयन दिनांक से निष्क्रिय होने तथा सदस्यों द्वारा कारोबार में रुचि न लेने के कारण सहायक पंजीयक (अंके.) सहकारी संस्थाएं, छतरपुर के द्वारा परिसमापन में लाये जाने की अनुशंसा की गई थी. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) के प्रतिवेदन के आधार पर संस्था को कार्यालयीन पत्र क्र./परि./2016/492, दिनांक 05 मई, 2016 के द्वारा सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत् परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर एक माह तक जवाब/उत्तर चाहा था. परन्तु संस्था की ओर से दो माह से अधिक समय व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी कोई जवाब/उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही कोई उपस्थित हुआ. इससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था के संचालक मण्डल को कारण बताओ सूचना-पत्र वर्णित आरोपों के संबंध में अपने पक्ष समर्थन में कुछ नहीं कहना है तथा वे संस्था को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही से सहमत हैं. चूंकि संस्था के सदस्यों को संस्था के कार्य संचालन में कोई रुचि नहीं है तथा संस्था विगत तीन वर्षों से अकार्यशील एवं निष्क्रिय है. अत: ऐसी संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, अखिलेश कुमार निगम, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, छतरपुर, साक्षी वस्त्र उद्योग सहकारिता मर्या., दौरिया को परिसमापन में लाता हूँ तथा सहकारी अधिनियम की धारा-70 (1) के तहत् श्री एम. के. रावत, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 03 अगस्त, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(698-D)

कनिका ईंधन आपूर्ति सहकारी समिति मर्या., खजुराहो (जिसे आगे केवल ''संस्था''कहा गया) पंजीयन दिनांक से निष्क्रिय होने तथा सदस्यों द्वारा कारोबार में रुचि न लेने के कारण सहायक पंजीयक (अंके.) सहकारी संस्थाएं, छतरपुर के द्वारा परिसमापन में लाये जाने की अनुशंसा की गई थी. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) के प्रतिवेदन के आधार पर संस्था को कार्यालयीन पत्र क्र./परि./2016/503, दिनांक 05 मई, 2016 के द्वारा सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत् परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर एक माह तक जवाब/उत्तर चाहा था. परन्तु संस्था की ओर से दो माह से अधिक समय व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी कोई जवाब/उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही कोई उपस्थित हुआ. इससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था के संचालक मण्डल को कारण बताओ सूचना-पत्र वर्णित आरोपों के संबंध में अपने पक्ष समर्थन में कुछ नहीं कहना है तथा वे संस्था को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही से सहमत हैं. चूंकि संस्था के सदस्यों को संस्था के कार्य संचालन में कोई रुचि नहीं है तथा संस्था विगत तीन वर्षों से अकार्यशील एवं निष्क्रिय है. अत: ऐसी संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, अखिलेश कुमार निगम, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, छतरपुर, कनिका ईंधन आपूर्ति सहकारी समिति मर्या., खजुराहो को परिसमापन में लाता हूँ तथा सहकारी अधिनियम की धारा-70 (1) के तहत् श्री जे. एस. यादव, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 03 अगस्त, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(698-E)

अन्नपूर्णा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बिजावर (जिसे आगे केवल ''संस्था''कहा गया) पंजीयन दिनांक से निष्क्रिय होने तथा सदस्यों द्वारा कारोबार में रुचि न लेने के कारण सहायक पंजीयक (अंके.) सहकारी संस्थाएं, छतरपुर के द्वारा परिसमापन में लाये जाने की अनुशंसा की गई थी. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) के प्रतिवेदन के आधार पर संस्था को कार्यालयीन पत्र क्र./परि./2016/506, दिनांक 05 मई, 2016 के द्वारा सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत् परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर एक माह तक जवाब/उत्तर चाहा था. परन्तु संस्था की ओर से दो माह से अधिक समय व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी कोई जवाब/उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही कोई उपस्थित हुआ. इससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था के संचालक मण्डल को कारण बताओ सूचना-पत्र वर्णित आरोपों के संबंध में अपने पक्ष समर्थन में कुछ नहीं कहना है तथा वे संस्था को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही से सहमत हैं. चूंकि संस्था के सदस्यों को संस्था के कार्य संचालन में कोई रुचि नहीं है तथा संस्था विगत तीन वर्षों से अकार्यशील एवं निष्क्रिय है. अत: ऐसी संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, अखिलेश कुमार निगम, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, छतरपुर, अन्नपूर्णा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बिजावर को परिसमापन में लाता हूँ तथा सहकारी अधिनियम की धारा-70 (1) के तहत् श्री पी. एस. खुराना, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 03 अगस्त, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(698-F)

बहुधंधी सहकारी समिति मर्या., जमीदारीपुरवा (जिसे आगे केवल ''संस्था''कहा गया) पंजीयन दिनांक से निष्क्रिय होने तथा सदस्यों द्वारा कारोबार में रुचि न लेने के कारण प्रशासक के द्वारा परिसमापन में लाये जाने की अनुशंसा की गई थी. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) के प्रतिवेदन के आधार पर संस्था को कार्यालयीन पत्र क्र./परि./2016/435, दिनांक 27 अप्रैल, 2016 के द्वारा सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत् परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर एक माह तक जवाब/उत्तर चाहा था. परन्तु संस्था की ओर से दो माह से अधिक समय व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी कोई जवाब/उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही कोई उपस्थित हुआ. इससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था के संचालक मण्डल को कारण बताओ सूचना-पत्र वर्णित आरोपों के संबंध में अपने पक्ष समर्थन में कुछ नहीं कहना है तथा वे संस्था को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही से सहमत हैं. चूंकि संस्था के सदस्यों को संस्था के कार्य संचालन में कोई रुचि नहीं है तथा संस्था विगत तीन वर्षों से अकार्यशील एवं निष्क्रिय है. अत: ऐसी संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, अखिलेश कुमार निगम, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, छतरपुर, बहुधंधी सहकारी समिति मर्या., जमीदारीपुरवा को परिसमापन में लाता हूँ तथा सहकारी अधिनियम की धारा-70 (1) के तहत् श्री यू. डी. पांचाल, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 03 अगस्त, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(698-G)

सदभाव महिला प्राथ. उप. सह. भण्डार मर्या., गढीमलहरा (जिसे आगे केवल ''संस्था''कहा गया) पंजीयन दिनांक से निष्क्रिय होने तथा सदस्यों द्वारा कारोबार में रुचि न लेने के कारण प्रशासक के द्वारा परिसमापन में लाये जाने की अनुशंसा की गई थी. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) के प्रतिवेदन के आधार पर संस्था को कार्यालयीन पत्र क्र./परि./2016/434, दिनांक 27 अप्रैल, 2016 के द्वारा सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत् परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर एक माह तक जवाब/उत्तर चाहा था. परन्तु संस्था की ओर से दो माह से अधिक समय व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी कोई जवाब/उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही कोई उपस्थित हुआ. इससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था के संचालक मण्डल को कारण बताओ सूचना-पत्र वर्णित आरोपों के संबंध में अपने पक्ष समर्थन में कुछ नहीं कहना है तथा वे संस्था को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही से सहमत हैं. चूंकि संस्था के सदस्यों को संस्था के कार्य संचालन में कोई रुचि नहीं है तथा संस्था विगत तीन वर्षों से अकार्यशील एवं निष्क्रिय है. अतः ऐसी संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, अखिलेश कुमार निगम, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, छतरपुर, सदभाव महिला प्राथ. उप. सह. भण्डार मर्या., गढीमलहरा को परिसमापन में लाता हूँ तथा सहकारी अधिनियम की धारा-70 (1) के तहत् श्री यू. डी. पांचाल, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 03 अगस्त, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(698-H)

जय अवार माँ बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., घुवारा (जिसे आगे केवल ''संस्था''कहा गया) पंजीयन दिनांक से निष्क्रिय होने तथा सदस्यों द्वारा कारोबार में रुचि न लेने के कारण सहायक पंजीयक (अंके.) सहकारी संस्थाएं, छतरपुर के द्वारा परिसमापन में लाये जाने की अनुशंसा की गई थी. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) के प्रतिवेदन के आधार पर संस्था को कार्यालयीन पत्र क्र./परि./2016/507, दिनांक 05 मई, 2016 के द्वारा सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत् परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर एक माह तक जवाब/उत्तर चाहा था. परन्तु संस्था की ओर से दो माह से अधिक समय व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी कोई जवाब/उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही कोई उपस्थित हुआ. इससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था के संचालक मण्डल को कारण बताओ सूचना-पत्र वर्णित आरोपों के संबंध में अपने पक्ष समर्थन में कुछ नहीं कहना है तथा वे संस्था को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही से सहमत हैं. चूंकि संस्था के सदस्यों को संस्था के कार्य संचालन में कोई रुचि नहीं है तथा संस्था विगत तीन वर्षों से अकार्यशील एवं निष्क्रिय है. अतः ऐसी संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, अखिलेश कुमार निगम, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, छतरपुर, जय अवार माँ बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., घुवारा को परिसमापन में लाता हूँ तथा सहकारी अधिनियम की धारा-70 (1) के तहत् श्री के. के. गुप्ता, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 03 अगस्त, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(698-I)

जटाशंकर ईंधन आपूर्ति सहकारिता मर्या., बडामलहरा (जिसे आगे केवल ''संस्था''कहा गया) पंजीयन दिनांक से निष्क्रिय होने तथा सदस्यों द्वारा कारोबार में रुचि न लेने के कारण सहायक पंजीयक (अंके.) सहकारी संस्थाएं, छतरपुर के द्वारा परिसमापन में लाये जाने की अनुशंसा की गई थी. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) के प्रतिवेदन के आधार पर संस्था को कार्यालयीन पत्र क्र./परि./2016/504, दिनांक 05 मई, 2016 के द्वारा सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत् परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर एक माह तक जवाब/उत्तर चाहा था. परन्तु संस्था की ओर से दो माह से अधिक समय व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी कोई जवाब/उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही कोई उपस्थित हुआ. इससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था के संचालक मण्डल को कारण बताओ सूचना-पत्र वर्णित आरोपों के संबंध में अपने पक्ष समर्थन में कुछ नहीं कहना है तथा वे संस्था को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही से सहमत हैं. चूंकि संस्था के सदस्यों को संस्था के कार्य संचालन में कोई रुचि नहीं है तथा संस्था विगत तीन वर्षों से अकार्यशील एवं निष्क्रिय है. अतः ऐसी संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, अखिलेश कुमार निगम, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, छतरपुर, जटाशंकर ईंधन आपूर्ति सहकारिता मर्या., बडामलहरा को परिसमापन में लाता हूँ तथा सहकारी अधिनियम की धारा-70 (1) के तहत् श्री के. के. गुप्ता, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 03 अगस्त, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(698-J)

शिवानी महिला ईंधन आपूर्ति सहकारिता मर्या., करारागंज (जिसे आगे केवल "संस्था" कहा गया) पंजीयन दिनांक से निष्क्रिय होने तथा सदस्यों द्वारा कारोबार में रुचि न लेने के कारण सहायक पंजीयक (अंके.) सहकारी संस्थाएं, छतरपुर के द्वारा परिसमापन में लाये जाने की अनुशंसा की गई थी. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) के प्रतिवेदन के आधार पर संस्था को कार्यालयीन पत्र क्र./परि./2016/505, दिनांक 05 मई, 2016 के द्वारा सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत् परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर एक माह तक जवाब/उत्तर चाहा था. परन्तु संस्था की ओर से दो माह से अधिक समय व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी कोई जवाब/उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही कोई उपस्थित हुआ. इससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था के संचालक मण्डल को कारण बताओ सूचना-पत्र वर्णित आरोपों के संबंध में अपने पक्ष समर्थन में कुछ नहीं कहना है तथा वे संस्था को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही से सहमत हैं. चूंकि संस्था के सदस्यों को संस्था के कार्य संचालन में कोई रुचि नहीं है तथा संस्था विगत तीन वर्षों से अकार्यशील एवं निष्क्रिय है. अतः ऐसी संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, अखिलेश कुमार निगम, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, छतरपुर, शिवानी महिला ईंधन आपूर्ति सहकारिता मर्या., करारागंज को परिसमापन में लाता हूँ तथा सहकारी अधिनियम की धारा-70 (1) के तहत् श्री के. के. गुप्ता, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 03 अगस्त, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(698-K)

राजीव काष्टकला उद्योग सहकारी समिति मर्या., छतरपुर (जिसे आगे केवल "संस्था" कहा गया) पंजीयन दिनांक से निष्क्रिय होने तथा सदस्यों द्वारा कारोबार में रुचि न लेने के कारण सहायक पंजीयक (अंके.) सहकारी संस्थाएं, छतरपुर के द्वारा परिसमापन में लाये जाने की अनुशंसा की गई थी. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) के प्रतिवेदन के आधार पर संस्था को कार्यालयीन पत्र क्र./परि./2016/497, दिनांक 05 मई, 2016 के द्वारा सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत् परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर एक माह तक जवाब/उत्तर चाहा था. परन्तु संस्था की ओर से दो माह से अधिक समय व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी कोई जवाब/उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही कोई उपस्थित हुआ. इससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था के संचालक मण्डल को कारण बताओ सूचना-पत्र वर्णित आरोपों के संबंध में अपने पक्ष समर्थन में कुछ नहीं कहना है तथा वे संस्था को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही से सहमत हैं. चूंकि संस्था के सदस्यों को संस्था के कार्य संचालन में कोई रुचि नहीं है तथा संस्था विगत तीन वर्षों से अकार्यशील एवं निष्क्रिय है. अतः ऐसी संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, अखिलेश कुमार निगम, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, छतरपुर, राजीव काष्टकला उद्योग सहकारी समिति मर्या., छतरपुर को परिसमापन में लाता हूँ तथा सहकारी अधिनियम की धारा-70 (1) के तहत् श्री एन. एस. अग्रवाल, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 03 अगस्त, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(698-L)

श्रीराम नागरिक सहकारी समिति मर्या., छतरपुर (जिसे आगे केवल "संस्था" कहा गया) पंजीयन दिनांक से निष्क्रिय होने तथा सदस्यों द्वारा कारोबार में रुचि न लेने के कारण सहायक पंजीयक (अंके.) सहकारी संस्थाएं, छतरपुर के द्वारा परिसमापन में लाये जाने की अनुशंसा की गई थी. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) के प्रतिवेदन के आधार पर संस्था को कार्यालयीन पत्र क्र./परि./2016/508, दिनांक 05 मई, 2016 के द्वारा सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत् परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर एक माह तक जवाब/उत्तर चाहा था. परन्तु संस्था की ओर से दो माह से अधिक समय व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी कोई जवाब/उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही कोई उपस्थित हुआ. इससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था के संचालक मण्डल को कारण बताओ सूचना-पत्र वर्णित आरोपों के संबंध में अपने पक्ष समर्थन

में कुछ नहीं कहना है तथा वे संस्था को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही से सहमत हैं. चूंकि संस्था के सदस्यों को संस्था के कार्य संचालन में कोई रुचि नहीं है तथा संस्था विगत तीन वर्षों से अकार्यशील एवं निष्क्रिय है. अत: ऐसी संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, अखिलेश कुमार निगम, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, छतरपुर, श्रीराम नागरिक सहकारी समिति मर्या., छतरपुर को परिसमापन में लाता हूँ तथा सहकारी अधिनियम की धारा-70 (1) के तहत् श्री एन. एस. अग्रवाल, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 03 अगस्त, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(698-M)

जनकल्याण पोषण आहार उद्योग सहकारी समिति मर्या., छतरपुर (जिसे आगे केवल ''संस्था''कहा गया) पंजीयन दिनांक से निष्क्रिय होने तथा सदस्यों द्वारा कारोबार में रुचि न लेने के कारण सहायक पंजीयक (अंके.) सहकारी संस्थाएं, छतरपुर के द्वारा परिसमापन में लाये जाने की अनुशंसा की गई थी. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) के प्रतिवेदन के आधार पर संस्था को कार्यालयीन पत्र क्र./परि./2016/496, दिनांक 05 मई, 2016 के द्वारा सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत् परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर एक माह तक जवाब/उत्तर चाहा था. परन्तु संस्था की ओर से दो माह से अधिक समय व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी कोई जवाब/उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही कोई उपस्थित हुआ. इससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था के संचालक मण्डल को कारण बताओ सूचना-पत्र वर्णित आरोपों के संबंध में अपने पक्ष समर्थन में कुछ नहीं कहना है तथा वे संस्था को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही से सहमत हैं. चूंकि संस्था के सदस्यों को संस्था के कार्य संचालन में कोई रुचि नहीं है तथा संस्था विगत तीन वर्षों से अकार्यशील एवं निष्क्रिय है. अत: ऐसी संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, अखिलेश कुमार निगम, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, छतरपुर, जनकल्याण पोषण आहार उद्योग सहकारी समिति मर्या., छतरपुर को परिसमापन में लाता हूँ तथा सहकारी अधिनियम की धारा-70 (1) के तहत् श्री एन. एस. अग्रवाल, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 03 अगस्त, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(698-N)

चिकित्सा औद्योगिक सहकारिता मर्या., छतरपुर (जिसे आगे केवल ''संस्था''कहा गया) पंजीयन दिनांक से निष्क्रिय होने तथा सदस्यों द्वारा कारोबार में रुचि न लेने के कारण सहायक पंजीयक (अंके.) सहकारी संस्थाएं, छतरपुर के द्वारा परिसमापन में लाये जाने की अनुशंसा की गई थी. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) के प्रतिवेदन के आधार पर संस्था को कार्यालयीन पत्र क्र./परि./2016/495, दिनांक 05 मई, 2016 के द्वारा सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत् परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर एक माह तक जवाब/उत्तर चाहा था. परन्तु संस्था की ओर से दो माह से अधिक समय व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी कोई जवाब/उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही कोई उपस्थित हुआ. इससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था के संचालक मण्डल को कारण बताओ सूचना-पत्र वर्णित आरोपों के संबंध में अपने पक्ष समर्थन में कुछ नहीं कहना है तथा वे संस्था को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही से सहमत हैं. चूंकि संस्था के सदस्यों को संस्था के कार्य संचालन में कोई रुचि नहीं है तथा संस्था विगत तीन वर्षों से अकार्यशील एवं निष्क्रिय है. अत: ऐसी संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, अखिलेश कुमार निगम, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, छतरपुर, चिकित्सा औद्योगिक सहकारिता मर्या., छतरपुर को परिसमापन में लाता हूँ तथा सहकारी अधिनियम की धारा-70 (1) के तहत् श्री एन. एस. अग्रवाल, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 03 अगस्त, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(698-O)

मनका उद्योग सहकारिता मर्या., वेरखेडी (जिसे आगे केवल ''संस्था''कहा गया) पंजीयन दिनांक से निष्क्रिय होने तथा सदस्यों द्वारा कारोबार में रुचि न लेने के कारण सहायक पंजीयक (अंके.) सहकारी संस्थाएं, छतरपुर के द्वारा परिसमापन में लाये जाने की अनुशंसा की गई थी.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) के प्रतिवेदन के आधार पर संस्था को कार्यालयीन पत्र क्र./परि./2016/493, दिनांक 05 मई, 2016 के द्वारा सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत् परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर एक माह तक जवाब/उत्तर चाहा था. परन्तु संस्था की ओर से दो माह से अधिक समय व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी कोई जवाब/उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही कोई उपस्थित हुआ. इससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था के संचालक मण्डल को कारण बताओ सूचना-पत्र वर्णित आरोपों के संबंध में अपने पक्ष समर्थन में कुछ नहीं कहना है तथा वे संस्था को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही से सहमत हैं. चूंकि संस्था के सदस्यों को संस्था के कार्य संचालन में कोई रुचि नहीं है तथा संस्था विगत तीन वर्षों से अकार्यशील एवं निष्क्रिय है. अत: ऐसी संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, अखिलेश कुमार निगम, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, छतरपुर, मनका उद्योग सहकारिता मर्या., वेरखेडी को परिसमापन में लाता हूँ तथा सहकारी अधिनियम की धारा-70 (1) के तहत् श्री एन. एस. अग्रवाल, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 03 अगस्त, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(698-P)

राजमाता ईंधन आपूर्ति सहकारिता मर्या., महाराजपुर (जिसे आगे केवल "संस्था" कहा गया) पंजीयन दिनांक से निष्क्रिय होने तथा सदस्यों द्वारा कारोबार में रुचि न लेने के कारण सहायक पंजीयक (अंके.) सहकारी संस्थाएं, छतरपुर के द्वारा परिसमापन में लाये जाने की अनुशंसा की गई थी. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) के प्रतिवेदन के आधार पर संस्था को कार्यालयीन पत्र क्र./परि./2016/499, दिनांक 05 मई, 2016 के द्वारा सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत् परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर एक माह तक जवाब/उत्तर चाहा था. परन्तु संस्था की ओर से दो माह से अधिक समय व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी कोई जवाब/उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही कोई उपस्थित हुआ. इससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था के संचालक मण्डल को कारण बताओ सूचना-पत्र वर्णित आरोपों के संबंध में अपने पक्ष समर्थन में कुछ नहीं कहना है तथा वे संस्था को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही से सहमत हैं. चूंकि संस्था के सदस्यों को संस्था के कार्य संचालन में कोई रुचि नहीं है तथा संस्था विगत तीन वर्षों से अकार्यशील एवं निष्क्रिय है. अत: ऐसी संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, अखिलेश कुमार निगम, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, छतरपुर, राजमाता ईंधन आपूर्ति सहकारिता मर्या., महाराजपुर को परिसमापन में लाता हूँ तथा सहकारी अधिनियम की धारा-70 (1) के तहत् श्री आर. सी. अग्रवाल, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 03 अगस्त, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(698-Q)

माँ महिला ईंधन आपूर्ति सहकारिता मर्या., महाराजपुर (जिसे आगे केवल "संस्था" कहा गया) पंजीयन दिनांक से निष्क्रिय होने तथा सदस्यों द्वारा कारोबार में रुचि न लेने के कारण सहायक पंजीयक (अंके.) सहकारी संस्थाएं, छतरपुर के द्वारा परिसमापन में लाये जाने की अनुशंसा की गई थी. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) के प्रतिवेदन के आधार पर संस्था को कार्यालयीन पत्र क्र./परि./2016/502, दिनांक 05 मई, 2016 के द्वारा सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत् परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर एक माह तक जवाब/उत्तर चाहा था. परन्तु संस्था की ओर से दो माह से अधिक समय व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी कोई जवाब/उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही कोई उपस्थित हुआ. इससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था के संचालक मण्डल को कारण बताओ सूचना-पत्र वर्णित आरोपों के संबंध में अपने पक्ष समर्थन में कुछ नहीं कहना है तथा वे संस्था को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही से सहमत हैं. चूंकि संस्था के सदस्यों को संस्था के कार्य संचालन में कोई रुचि नहीं है तथा संस्था विगत तीन वर्षों से अकार्यशील एवं निष्क्रिय है. अत: ऐसी संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, अखिलेश कुमार निगम, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, छतरपुर, माँ महिला ईंधन आपूर्ति सहकारिता मर्या., महाराजपुर को परिसमापन में लाता हूँ तथा सहकारी अधिनियम की धारा-70 (1) के तहत् श्री आर. सी. अग्रवाल, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 03 अगस्त, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(698-R)

स्पष्टि ईंधन आपूर्ति सहकारिता मर्या., महाराजपुर (जिसे आगे केवल ''संस्था''कहा गया) पंजीयन दिनांक से निष्क्रिय होने तथा सदस्यों द्वारा कारोबार में रुचि न लेने के कारण सहायक पंजीयक (अंके.) सहकारी संस्थाएं, छतरपुर के द्वारा परिसमापन में लाये जाने की अनुशंसा की गई थी. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) के प्रतिवेदन के आधार पर संस्था को कार्यालयीन पत्र क्र./परि./2016/500, दिनांक 05 मई, 2016 के द्वारा सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत् परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर एक माह तक जवाब/उत्तर चाहा था. परन्तु संस्था की ओर से दो माह से अधिक समय व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी कोई जवाब/उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही कोई उपस्थित हुआ. इससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था के संचालक मण्डल को कारण बताओ सूचना-पत्र वर्णित आरोपों के संबंध में अपने पक्ष समर्थन में कुछ नहीं कहना है तथा वे संस्था को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही से सहमत हैं. चूंकि संस्था के सदस्यों को संस्था के कार्य संचालन में कोई रुचि नहीं है तथा संस्था विगत तीन वर्षों से अकार्यशील एवं निष्क्रिय है. अत: ऐसी संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, अखिलेश कुमार निगम, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, छतरपुर, स्पष्टि ईंधन आपूर्ति सहकारिता मर्या., महाराजपुर को परिसमापन में लाता हूँ तथा सहकारी अधिनियम की धारा-70 (1) के तहत् श्री आर. सी. अग्रवाल, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 03 अगस्त, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(698-S)

अम्बेडकर श्रमठेका उद्योग सहकारी समिति मर्या., महाराजपुर (जिसे आगे केवल ''संस्था''कहा गया) पंजीयन दिनांक से निष्क्रिय होने तथा सदस्यों द्वारा कारोबार में रुचि न लेने के कारण सहायक पंजीयक (अंके.) सहकारी संस्थाएं, छतरपुर के द्वारा परिसमापन में लाये जाने की अनुशंसा की गई थी. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) के प्रतिवेदन के आधार पर संस्था को कार्यालयीन पत्र क्र./परि./2016/498, दिनांक 05 मई, 2016 के द्वारा सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत् परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर एक माह तक जवाब/उत्तर चाहा था. परन्तु संस्था की ओर से दो माह से अधिक समय व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी कोई जवाब/उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही कोई उपस्थित हुआ. इससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था के संचालक मण्डल को कारण बताओ सूचना-पत्र वर्णित आरोपों के संबंध में अपने पक्ष समर्थन में कुछ नहीं कहना है तथा वे संस्था को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही से सहमत हैं. चूंकि संस्था के सदस्यों को संस्था के कार्य संचालन में कोई रुचि नहीं है तथा संस्था विगत तीन वर्षों से अकार्यशील एवं निष्क्रिय है. अत: ऐसी संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, अखिलेश कुमार निगम, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, छतरपुर, अम्बेडकर श्रमठेका उद्योग सहकारी समिति मर्या., महाराजपुर को परिसमापन में लाता हूँ तथा सहकारी अधिनियम की धारा-70 (1) के तहत् श्री आर. सी. अग्रवाल, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 03 अगस्त, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(698-T)

हरिजन कुक्कुट सहकारी समिति मर्या., फुलारी (जिसे आगे केवल ''संस्था''कहा गया) पंजीयन दिनांक से निष्क्रिय होने तथा सदस्यों द्वारा कारोबार में रुचि न लेने के कारण सहायक पंजीयक (अंके.) सहकारी संस्थाएं, छतरपुर के द्वारा परिसमापन में लाये जाने की अनुशंसा की गई थी. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) के प्रतिवेदन के आधार पर संस्था को कार्यालयीन पत्र क्र./परि./2016/501, दिनांक 05 मई, 2016 के द्वारा सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत् परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर एक माह तक जवाब/उत्तर चाहा था. परन्तु संस्था की ओर से दो माह से अधिक समय व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी कोई जवाब/उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही कोई उपस्थित हुआ. इससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था के संचालक मण्डल को कारण बताओ सूचना-पत्र वर्णित आरोपों के संबंध में अपने पक्ष समर्थन में कुछ नहीं कहना है तथा वे संस्था को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही से सहमत हैं. चूंकि संस्था के सदस्यों को संस्था के कार्य संचालन में कोई रुचि नहीं है तथा संस्था विगत तीन वर्षों से अकार्यशील एवं निष्क्रिय है. अत: ऐसी संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, अखिलेश कुमार निगम, डिप्टी रजिस्ट्रार,

सहकारी संस्थाएं, छतरपुर, हरिजन कुक्कुट सहकारी समिति मर्या., फुलारी को परिसमापन में लाता हूँ तथा सहकारी अधिनियम की धारा-70 (1) के तहत् श्री आर. सी. अग्रवाल, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 03 अगस्त, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(698-U)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के तहत्]

बुन्देलखण्ड डेरी विकास परियोजना, जिला छतरपुर के दुग्ध शीत केन्द्र प्रबंधक राजनगर द्वारा अपने पत्र क्रमांक/501/बी.डी.पी./छतरपुर/2016, दिनांक 05 मार्च, 2016 के द्वारा प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., नंदगायकला, पंजी. क्र. 1336, दिनांक 09 दिसम्बर, 2011 को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित की गयी थी.

उक्त के संबंध में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/परि./2016/446, दिनांक 27 अप्रैल, 2016 के द्वारा प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., नंदगायकला के अध्यक्ष/संचालक मण्डल को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत् कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर एक माह के अन्दर उत्तर चाहा गया था. लेकिन संस्था की ओर से निर्धारित समयावधि व्यतीत होने के उपरान्त आज दिनांक तक कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया. इससे स्पष्ट है कि —

1. उक्त संस्था अपने पंजीकृत पते पर स्थापित नहीं है.
2. संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करना प्रारम्भ नहीं किया है तथा अकार्यशील है.
3. संस्था द्वारा पंजीयन दिनांक से संचालक मण्डल का निर्वाचन नहीं कराया गया है.
4. संस्था के सदस्य निष्क्रिय है.
5. संस्था सहकारी अधिनियम, नियम एवं संस्था की उपविधियों के प्रावधानों का अनुपालन करना बंद कर दिया.

ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतएव: मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये. मैं, अखिलेश कुमार निगम, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, छतरपुर, प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., नंदगायकला को परिसमापन में लाता हूँ तथा सहकारी अधिनियम की धारा-70 (1) के तहत् श्री बी. के. रूसिया, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 03 अगस्त, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(698-V)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के तहत्]

बुन्देलखण्ड डेरी विकास परियोजना, जिला छतरपुर के दुग्ध शीत केन्द्र प्रबंधक राजनगर द्वारा अपने पत्र क्रमांक/501/बी.डी.पी./छतरपुर/2016, दिनांक 05 मार्च, 2016 के द्वारा प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., परापटटी, पंजी. क्र. 1343, दिनांक 09 दिसम्बर, 2012 को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित की गयी थी.

उक्त के संबंध में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/परि./2016/447, दिनांक 27 अप्रैल, 2016 के द्वारा प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., परापटटी के अध्यक्ष/संचालक मण्डल को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत् कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर एक माह के अन्दर उत्तर चाहा गया था. लेकिन संस्था की ओर से निर्धारित समयावधि व्यतीत होने के उपरान्त आज दिनांक तक कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया. इससे स्पष्ट है कि —

1. उक्त संस्था अपने पंजीकृत पते पर स्थापित नहीं है.
2. संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करना प्रारम्भ नहीं किया है तथा अकार्यशील है.
3. संस्था द्वारा पंजीयन दिनांक से संचालक मण्डल का निर्वाचन नहीं कराया गया है.
4. संस्था के सदस्य निष्क्रिय है.
5. संस्था सहकारी अधिनियम, नियम एवं संस्था की उपविधियों के प्रावधानों का अनुपालन करना बंद कर दिया.

ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतएव: मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये. मैं, अखिलेश कुमार निगम, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, छतरपुर, प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., परापटटी को परिसमापन में लाता हूँ तथा सहकारी अधिनियम की धारा-70 (1) के तहत् श्री बी. के. रूसिया, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 03 अगस्त, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(698-W)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के तहत्]

बुन्देलखण्ड डेरी विकास परियोजना, जिला छतरपुर के दुग्ध शीत केन्द्र प्रबंधक राजनगर द्वारा अपने पत्र क्रमांक/501/बी.डी.पी./छतरपुर/2016, दिनांक 05 मार्च, 2016 के द्वारा प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., कालापानी, पंजी. क्र. 1355, दिनांक 03 फरवरी, 2012 को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित की गयी थी.

उक्त के संबंध में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/परि./2016/445, दिनांक 27 अप्रैल, 2016 के द्वारा प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., कालापानी के अध्यक्ष/संचालक मण्डल को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत् कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर एक माह के अन्दर उत्तर चाहा गया था. लेकिन संस्था की ओर से निर्धारित समयावधि व्यतीत होने के उपरान्त आज दिनांक तक कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया. इससे स्पष्ट है कि —

1. उक्त संस्था अपने पंजीकृत पते पर स्थापित नहीं है.
2. संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करना प्रारम्भ नहीं किया है तथा अकार्यशील है.
3. संस्था द्वारा पंजीयन दिनांक से संचालक मण्डल का निर्वाचन नहीं कराया गया है.
4. संस्था के सदस्य निष्क्रिय है.
5. संस्था सहकारी अधिनियम, नियम एवं संस्था की उपविधियों के प्रावधानों का अनुपालन करना बंद कर दिया.

ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतएव: मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये. मैं, अखिलेश कुमार निगम, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, छतरपुर, प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., कालापानी को परिसमापन में लाता हूँ तथा सहकारी अधिनियम की धारा-70 (1) के तहत् श्री बी. के. रूसिया, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 03 अगस्त, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(698-X)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के तहत्]

बुन्देलखण्ड डेरी विकास परियोजना, जिला छतरपुर के दुग्ध शीत केन्द्र प्रबंधक राजनगर द्वारा अपने पत्र क्रमांक/501/बी.डी.पी./छतरपुर/2016, दिनांक 05 मार्च, 2016 के द्वारा प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., वोडा, पंजी. क्र. 1341, दिनांक 09 दिसम्बर, 2012 को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित की गयी थी.

उक्त के संबंध में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/परि./2016/448, दिनांक 27 अप्रैल, 2016 के द्वारा प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., वोडा के अध्यक्ष/संचालक मण्डल को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत् कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर एक माह के अन्दर उत्तर चाहा गया था. लेकिन संस्था की ओर से निर्धारित समयावधि व्यतीत होने के उपरान्त आज दिनांक तक कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया. इससे स्पष्ट है कि —

1. उक्त संस्था अपने पंजीकृत पते पर स्थापित नहीं है.
2. संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करना प्रारम्भ नहीं किया है तथा अकार्यशील है.
3. संस्था द्वारा पंजीयन दिनांक से संचालक मण्डल का निर्वाचन नहीं कराया गया है.

4. संस्था के सदस्य निष्क्रिय है.

5. संस्था सहकारी अधिनियम, नियम एवं संस्था की उपविधियों के प्रावधानों का अनुपालन करना बंद कर दिया.

ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतएव: मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये. मैं, अखिलेश कुमार निगम, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, छतरपुर, प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., वोडा को परिसमापन में लाता हूँ तथा सहकारी अधिनियम की धारा-70 (1) के तहत् श्री चतुरेश तिवारी, उप-अंकेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 03 अगस्त, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(698-Y)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के तहत्]

बुन्देलखण्ड डेरी विकास परियोजना, जिला छतरपुर के दुग्ध शीत केन्द्र प्रबंधक राजनगर द्वारा अपने पत्र क्रमांक/501/बी.डी.पी./छतरपुर/2016, दिनांक 05 मार्च, 2016 के द्वारा प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बराकीरतपुरा, पंजी. क्र. 1340, दिनांक 09 दिसम्बर, 2012 को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित की गयी थी.

उक्त के संबंध में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/परि./2016/449, दिनांक 27 अप्रैल, 2016 के द्वारा प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., खिरवा के अध्यक्ष/संचालक मण्डल को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत् कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर एक माह के अन्दर उत्तर चाहा गया था. लेकिन संस्था की ओर से निर्धारित समयावधि व्यतीत होने के उपरान्त आज दिनांक तक कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया. इससे स्पष्ट है कि —

1. उक्त संस्था अपने पंजीकृत पते पर स्थापित नहीं है.

2. संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करना प्रारम्भ नहीं किया है तथा अकार्यशील है.

3. संस्था द्वारा पंजीयन दिनांक से संचालक मण्डल का निर्वाचन नहीं कराया गया है.

4. संस्था के सदस्य निष्क्रिय है.

5. संस्था सहकारी अधिनियम, नियम एवं संस्था की उपविधियों के प्रावधानों का अनुपालन करना बंद कर दिया.

ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतएव: मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये. मैं, अखिलेश कुमार निगम, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, छतरपुर, प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बराकीरतपुरा को परिसमापन में लाता हूँ तथा सहकारी अधिनियम की धारा-70 (1) के तहत् श्री चतुरेश तिवारी, उप-अंकेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 03 अगस्त, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(698-Z)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के तहत्]

बुन्देलखण्ड डेरी विकास परियोजना, जिला छतरपुर के दुग्ध शीत केन्द्र प्रबंधक राजनगर द्वारा अपने पत्र क्रमांक/501/बी.डी.पी./छतरपुर/2016, दिनांक 05 मार्च, 2016 के द्वारा प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., ढोगरा, पंजी. क्र. 1348, दिनांक 20 जनवरी, 2012 को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित की गयी थी.

उक्त के संबंध में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/परि./2016/450, दिनांक 27 अप्रैल, 2016 के द्वारा प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., ढोगरा के अध्यक्ष/संचालक मण्डल को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत् कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर एक माह के अन्दर उत्तर चाहा गया था. लेकिन संस्था की ओर से निर्धारित समयावधि व्यतीत होने के उपरान्त आज दिनांक तक कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया. इससे स्पष्ट है कि —

1. उक्त संस्था अपने पंजीकृत पते पर स्थापित नहीं है.

2. संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करना प्रारम्भ नहीं किया है तथा अकार्यशील है.

3. संस्था द्वारा पंजीयन दिनांक से संचालक मण्डल का निर्वाचन नहीं कराया गया है.

4. संस्था के सदस्य निष्क्रिय है.

5. संस्था सहकारी अधिनियम, नियम एवं संस्था की उपविधियों के प्रावधानों का अनुपालन करना बंद कर दिया.

ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतएव: मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये. मैं, अखिलेश कुमार निगम, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, छतरपुर, प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., ढोगरा को परिसमापन में लाता हूँ तथा सहकारी अधिनियम की धारा-70 (1) के तहत् श्री चतुरेश तिवारी, उप-अंकेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 03 अगस्त, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(699)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के तहत्]

बुन्देलखण्ड डेरी विकास परियोजना, जिला छतरपुर के दुग्ध शीत केन्द्र प्रबंधक राजनगर द्वारा अपने पत्र क्रमांक/501/बी.डी.पी./छतरपुर/2016, दिनांक 05 मार्च, 2016 के द्वारा प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., मऊ, पंजी. क्र. 1285, दिनांक 25 अप्रैल, 2011 को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित की गयी थी.

उक्त के संबंध में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/परि./2016/440, दिनांक 27 अप्रैल, 2016 के द्वारा प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., मऊ के अध्यक्ष/संचालक मण्डल को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत् कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर एक माह के अन्दर उत्तर चाहा गया था. लेकिन संस्था की ओर से निर्धारित समयावधि व्यतीत होने के उपरान्त आज दिनांक तक कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया. इससे स्पष्ट है कि —

1. उक्त संस्था अपने पंजीकृत पते पर स्थापित नहीं है.

2. संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करना प्रारम्भ नहीं किया है तथा अकार्यशील है.

3. संस्था द्वारा पंजीयन दिनांक से संचालक मण्डल का निर्वाचन नहीं कराया गया है.

4. संस्था के सदस्य निष्क्रिय है.

5. संस्था सहकारी अधिनियम, नियम एवं संस्था की उपविधियों के प्रावधानों का अनुपालन करना बंद कर दिया.

ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतएव: मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये. मैं, अखिलेश कुमार निगम, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, छतरपुर, प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., मऊ को परिसमापन में लाता हूँ तथा सहकारी अधिनियम की धारा-70 (1) के तहत् श्री यू. डी. पांचाल, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 03 अगस्त, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(699-A)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के तहत्]

बुन्देलखण्ड डेरी विकास परियोजना, जिला छतरपुर के दुग्ध शीत केन्द्र प्रबंधक राजनगर द्वारा अपने पत्र क्रमांक/501/बी.डी.पी./छतरपुर/2016, दिनांक 05 मार्च, 2016 के द्वारा प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., खिरवा, पंजी. क्र. 1338, दिनांक 09 दिसम्बर, 2012 को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित की गयी थी.

उक्त के संबंध में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/परि./2016/444, दिनांक 27 अप्रैल, 2016 के द्वारा प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., खिरवा के अध्यक्ष/संचालक मण्डल को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत् कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर एक माह के अन्दर उत्तर चाहा गया था. लेकिन संस्था की ओर से निर्धारित समयावधि व्यतीत होने के उपरान्त आज दिनांक तक कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया. इससे स्पष्ट है कि —

1. उक्त संस्था अपने पंजीकृत पते पर स्थापित नहीं है.

2. संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करना प्रारम्भ नहीं किया है तथा अकार्यशील है.

3. संस्था द्वारा पंजीयन दिनांक से संचालक मण्डल का निर्वाचन नहीं कराया गया है.

4. संस्था के सदस्य निष्क्रिय हैं.

5. संस्था सहकारी अधिनियम, नियम एवं संस्था की उपविधियों के प्रावधानों का अनुपालन करना बंद कर दिया.

ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतएव: मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये. मैं, अखिलेश कुमार निगम, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, छतरपुर, प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., खिरवा को परिसमापन में लाता हूँ तथा सहकारी अधिनियम की धारा-70 (1) के तहत् श्री यू. डी. पांचाल, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 03 अगस्त, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(699-B)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के तहत्]

बुन्देलखण्ड डेरी विकास परियोजना, जिला छतरपुर के दुग्ध शीत केन्द्र प्रबंधक राजनगर द्वारा अपने पत्र क्रमांक/501/बी.डी.पी./छतरपुर/2016, दिनांक 05 मार्च, 2016 के द्वारा प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., मनकारी, पंजी. क्र. 1279, दिनांक 12 जनवरी, 2011 को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित की गयी थी.

उक्त के संबंध में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/परि./2016/443, दिनांक 27 अप्रैल, 2016 के द्वारा प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., मनकारी के अध्यक्ष/संचालक मण्डल को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत् कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर एक माह के अन्दर उत्तर चाहा गया था. लेकिन संस्था की ओर से निर्धारित समयावधि व्यतीत होने के उपरान्त आज दिनांक तक कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया. इससे स्पष्ट है कि —

1. उक्त संस्था अपने पंजीकृत पते पर स्थापित नहीं है.

2. संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करना प्रारम्भ नहीं किया है तथा अकार्यशील है.

3. संस्था द्वारा पंजीयन दिनांक से संचालक मण्डल का निर्वाचन नहीं कराया गया है.

4. संस्था के सदस्य निष्क्रिय हैं.

5. संस्था सहकारी अधिनियम, नियम एवं संस्था की उपविधियों के प्रावधानों का अनुपालन करना बंद कर दिया.

ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतएव: मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये. मैं, अखिलेश कुमार निगम, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, छतरपुर, प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., मनकारी को परिसमापन में लाता हूँ तथा सहकारी अधिनियम की धारा-70 (1) के तहत् श्री यू. डी. पांचाल, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 03 अगस्त, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(699-C)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के तहत्]

बुन्देलखण्ड डेरी विकास परियोजना, जिला छतरपुर के दुग्ध शीत केन्द्र प्रबंधक राजनगर द्वारा अपने पत्र क्रमांक/501/बी.डी.पी./छतरपुर/2016, दिनांक 05 मार्च, 2016 के द्वारा प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बसारी, पंजी. क्र. 1275, दिनांक 12 जनवरी, 2011 को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित की गयी थी.

उक्त के संबंध में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/परि./2016/437, दिनांक 27 अप्रैल, 2016 के द्वारा प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बसारी के अध्यक्ष/संचालक मण्डल को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत् कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर एक माह के अन्दर उत्तर चाहा गया था. लेकिन संस्था की ओर से निर्धारित समयावधि व्यतीत होने के उपरान्त आज दिनांक तक कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया. इससे स्पष्ट है कि —

1. उक्त संस्था अपने पंजीकृत पते पर स्थापित नहीं है.

2. संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करना प्रारम्भ नहीं किया है तथा अकार्यशील है.

3. संस्था द्वारा पंजीयन दिनांक से संचालक मण्डल का निर्वाचन नहीं कराया गया है.

4. संस्था के सदस्य निष्क्रिय हैं.

5. संस्था सहकारी अधिनियम, नियम एवं संस्था की उपविधियों के प्रावधानों का अनुपालन करना बंद कर दिया.

ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतएव: मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये. मैं, अखिलेश कुमार निगम, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, छतरपुर, प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बसारी को परिसमापन में लाता हूँ तथा सहकारी अधिनियम की धारा-70 (1) के तहत् श्री जे. एस. यादव, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 03 अगस्त, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(699-D)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के तहत्]

बुन्देलखण्ड डेरी विकास परियोजना, जिला छतरपुर के दुग्ध शीत केन्द्र प्रबंधक राजनगर द्वारा अपने पत्र क्रमांक/501/बी.डी.पी./छतरपुर/2016, दिनांक 05 मार्च, 2016 के द्वारा प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., विहटा, पंजी. क्र. 1364, दिनांक 09 दिसम्बर, 2011 को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित की गयी थी.

उक्त के संबंध में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/परि./2016/442, दिनांक 27 अप्रैल, 2016 के द्वारा प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., विहटा के अध्यक्ष/संचालक मण्डल को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत् कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर एक माह के अन्दर उत्तर चाहा गया था. लेकिन संस्था की ओर से निर्धारित समयावधि व्यतीत होने के उपरान्त आज दिनांक तक कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया. इससे स्पष्ट है कि —

1. उक्त संस्था अपने पंजीकृत पते पर स्थापित नहीं है.

2. संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करना प्रारम्भ नहीं किया है तथा अकार्यशील है.

3. संस्था द्वारा पंजीयन दिनांक से संचालक मण्डल का निर्वाचन नहीं कराया गया है.

4. संस्था के सदस्य निष्क्रिय हैं.

5. संस्था सहकारी अधिनियम, नियम एवं संस्था की उपविधियों के प्रावधानों का अनुपालन करना बंद कर दिया.

ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतएव: मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये. मैं, अखिलेश कुमार निगम, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, छतरपुर, प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., विहटा को परिसमापन में लाता हूँ तथा सहकारी अधिनियम की धारा-70 (1) के तहत् श्री के. के. गुप्ता, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 03 अगस्त, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(699-E)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के तहत्]

बुन्देलखण्ड डेरी विकास परियोजना, जिला छतरपुर के दुग्ध शीत केन्द्र प्रबंधक राजनगर द्वारा अपने पत्र क्रमांक/501/बी.डी.पी./छतरपुर/2016, दिनांक 05 मार्च, 2016 के द्वारा प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., कुर्रा, पंजी. क्र. 1365, दिनांक 23 मार्च, 2012 को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित की गयी थी.

उक्त के संबंध में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/परि./2016/441, दिनांक 27 अप्रैल, 2016 के द्वारा प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., कुर्रा के अध्यक्ष/संचालक मण्डल को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत् कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर एक माह के अन्दर उत्तर चाहा गया था. लेकिन संस्था की ओर से निर्धारित समयावधि व्यतीत होने के उपरान्त आज दिनांक तक कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया. इससे स्पष्ट है कि —

1. उक्त संस्था अपने पंजीकृत पते पर स्थापित नहीं है.

2. संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करना प्रारम्भ नहीं किया है तथा अकार्यशील है.

3. संस्था द्वारा पंजीयन दिनांक से संचालक मण्डल का निर्वाचन नहीं कराया गया है.

4. संस्था के सदस्य निष्क्रिय हैं.

5. संस्था सहकारी अधिनियम, नियम एवं संस्था की उपविधियों के प्रावधानों का अनुपालन करना बंद कर दिया.

ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतएव: मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये. मैं, अखिलेश कुमार निगम, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, छतरपुर, प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., कुर्रा को परिसमापन में लाता हूँ तथा सहकारी अधिनियम की धारा-70 (1) के तहत् श्री के. के. गुप्ता, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 03 अगस्त, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(699-F)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के तहत्]

बुन्देलखण्ड डेरी विकास परियोजना, जिला छतरपुर के दुग्ध शीत केन्द्र प्रबंधक राजनगर द्वारा अपने पत्र क्रमांक/501/बी.डी.पी./छतरपुर/2016, दिनांक 05 मार्च, 2016 के द्वारा प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बेडरी, पंजी. क्र. 1312, दिनांक 31 अक्टूबर, 2011 को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित की गयी थी.

उक्त के संबंध में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/परि./2016/448, दिनांक 27 अप्रैल, 2016 के द्वारा प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बेडरी के अध्यक्ष/संचालक मण्डल को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत् कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर एक माह के अन्दर उत्तर चाहा गया था. लेकिन संस्था की ओर से निर्धारित समयावधि व्यतीत होने के उपरान्त आज दिनांक तक कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया. इससे स्पष्ट है कि —

1. उक्त संस्था अपने पंजीकृत पते पर स्थापित नहीं है.

2. संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करना प्रारम्भ नहीं किया है तथा अकार्यशील है.

3. संस्था द्वारा पंजीयन दिनांक से संचालक मण्डल का निर्वाचन नहीं कराया गया है.

4. संस्था के सदस्य निष्क्रिय हैं.

5. संस्था सहकारी अधिनियम, नियम एवं संस्था की उपविधियों के प्रावधानों का अनुपालन करना बंद कर दिया.

ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतएव: मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये. मैं, अखिलेश कुमार निगम, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, छतरपुर, प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बेडरी को परिसमापन में लाता हूँ तथा सहकारी अधिनियम की धारा-70 (1) के तहत् श्री जगदीश गुप्ता, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 03 अगस्त, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(699-G)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के तहत्]

बुन्देलखण्ड डेरी विकास परियोजना, जिला छतरपुर के दुग्ध शीत केन्द्र प्रबंधक राजनगर द्वारा अपने पत्र क्रमांक/501/बी.डी.पी./छतरपुर/2016, दिनांक 05 मार्च, 2016 के द्वारा प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., टपरियन, पंजी. क्र. 1309, दिनांक 31 अक्टूबर, 2011 को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित की गयी थी.

उक्त के संबंध में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/परि./2016/441, दिनांक 27 अप्रैल, 2016 के द्वारा प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., टपरियन के अध्यक्ष/संचालक मण्डल को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत् कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर एक माह के अन्दर उत्तर चाहा गया था. लेकिन संस्था की ओर से निर्धारित समयावधि व्यतीत होने के उपरान्त आज दिनांक तक कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया. इससे स्पष्ट है कि —

1. उक्त संस्था अपने पंजीकृत पते पर स्थापित नहीं है.

2. संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करना प्रारम्भ नहीं किया है तथा अकार्यशील है.

3. संस्था द्वारा पंजीयन दिनांक से संचालक मण्डल का निर्वाचन नहीं कराया गया है.

4. संस्था के सदस्य निष्क्रिय हैं.

5. संस्था सहकारी अधिनियम, नियम एवं संस्था की उपविधियों के प्रावधानों का अनुपालन करना बंद कर दिया.

ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतएव: मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये. मैं, अखिलेश कुमार निगम, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, छतरपुर, प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., टपरियन को परिसमापन में लाता हूँ तथा सहकारी अधिनियम की धारा-70 (1) के तहत् श्री जगदीश गुप्ता, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 03 अगस्त, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(699-H)

छतरपुर, दिनांक 10 अगस्त, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

समस्त सदस्यगण एवं संचालक मण्डल,

द्वारा-अध्यक्ष.

उमा ईंधन आपूर्ति सहकारिता मर्या., अलीपुरा.

क्र./परि./2016/1158.—उमा ईंन आपूर्ति सहकारिता मर्या., अलीपुरा (जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है) के संबंध में कार्यालय के निर्वाचन कक्ष एवं सहायक पंजीयक अंकेक्षण से प्राप्त जानकारी के अनुसार संस्था द्वारा पंजीयन दिनांक से निर्वाचन न कराया जाना एवं संस्था विगत तीन वर्षों से अकार्यशील है तथा पंजीकृत पते पर स्थापित नहीं है. इसलिये संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित है क्योंकि:-

1. संस्था अपने पंजीकृत पते पर स्थापित नहीं है.

2. संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है तथा संस्था अकार्यशील है.

3. संस्था सहकारी अधिनियम, नियम एवं संस्था की उपविधियों के प्रावधानों का अनुपालन करना बंद कर दिया है.

4. संस्था के सदस्य निष्क्रिय हैं जिसके कारण संस्था अकार्यशील है.

5. संस्था के संचालक मण्डल का पंजीयन दिनांक से निर्वाचन नहीं कराया गया.

उक्त बिन्दुओं से यह स्पष्ट है कि संस्था ने युक्तियुक्त समय के भीतर कार्य करना प्रारम्भ नहीं किया है तथा सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपविधियों के प्रावधानों का पालन करना बंद कर दिया. ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित होता है.

अतएवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत् प्रदत्त शक्तिओं का प्रयोग करते हुये मैं, अखिलेश कुमार निगम, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, छतरपुर यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपसे यह अपेक्षा करता हूँ कि उक्त बिन्दुओं के संबंध में संस्था की आम सभा आहूत कर आम सभा के समक्ष यह सूचना-पत्र विचारार्थ रख कर एक माह के भीतर इस कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष समर्थन करें. अनुपस्थिति की दशा में यह माना जावेगा कि आपको उक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है. तदानुसार प्रस्तावित कार्यवाही का आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 10 अगस्त, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(699-I)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

समस्त सदस्यगण एवं संचालक मण्डल,

द्वारा-अध्यक्ष/प्रशासक.

महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., पिडपा.

महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., पिडपा (जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है) के संबंध में अंकेक्षक श्री एम. के. रावत,

सहकारी निरीक्षक के पत्र दिनांक 05 अगस्त, 2016 से प्राप्त जानकारी के अनुसार संस्था द्वारा विगत तीन वर्षों से अंकेक्षण नहीं कराया जा रहा है तथा पंजीकृत पते पर स्थापित नहीं है. इसलिये संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित है क्योंकि:-

1. संस्था अपने पंजीकृत पते पर स्थापित नहीं है.
2. संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है तथा संस्था अकार्यशील है.
3. संस्था सहकारी अधिनियम, नियम एवं संस्था की उपविधियों के प्रावधानों का अनुपालन करना बंद कर दिया है.
4. संस्था के सदस्य निष्क्रिय हैं जिसके कारण संस्था अकार्यशील है.
5. संस्था के संचालक मण्डल का पंजीयन दिनांक से निर्वाचन नहीं कराया गया.

उक्त बिन्दुओं से यह स्पष्ट है कि संस्था ने युक्तियुक्त समय के भीतर कार्य करना प्रारम्भ नहीं किया है तथा सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपविधियों के प्रावधानों का पालन करना बंद कर दिया. ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित होता है.

अतएवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत् प्रदत्त शक्तिओं का प्रयोग करते हुये मैं, अखिलेश कुमार निगम, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, छतरपुर यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपसे यह अपेक्षा करता हूँ कि उक्त बिन्दुओं के संबंध में संस्था की आम सभा आहूत कर आम सभा के समक्ष यह सूचना-पत्र विचारार्थ रख कर एक माह के भीतर इस कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष समर्थन करें. अनुपस्थिति की दशा में यह माना जावेगा कि आपको उक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है. तदानुसार प्रस्तावित कार्यवाही का आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 09 अगस्त, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(699-J)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

समस्त सदस्यगण एवं संचालक मण्डल,
द्वारा-अध्यक्ष/प्रशासक.
महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., कलानी.

महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., कलानी (जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है) के संबंध में अंकेक्षक श्री एम. के. रावत, सहकारी निरीक्षक के पत्र दिनांक 05 अगस्त, 2016 से प्राप्त जानकारी के अनुसार संस्था द्वारा विगत तीन वर्षों से अंकेक्षण नहीं कराया जा रहा है तथा पंजीकृत पते पर स्थापित नहीं है. इसलिये संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित है क्योंकि:-

1. संस्था अपने पंजीकृत पते पर स्थापित नहीं है.
2. संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है तथा संस्था अकार्यशील है.
3. संस्था सहकारी अधिनियम, नियम एवं संस्था की उपविधियों के प्रावधानों का अनुपालन करना बंद कर दिया है.
4. संस्था के सदस्य निष्क्रिय हैं जिसके कारण संस्था अकार्यशील है.
5. संस्था के संचालक मण्डल का पंजीयन दिनांक से निर्वाचन नहीं कराया गया.

उक्त बिन्दुओं से यह स्पष्ट है कि संस्था ने युक्तियुक्त समय के भीतर कार्य करना प्रारम्भ नहीं किया है तथा सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपविधियों के प्रावधानों का पालन करना बंद कर दिया. ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित होता है.

अतएवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत् प्रदत्त शक्तिओं का प्रयोग करते हुये मैं, अखिलेश कुमार निगम, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, छतरपुर यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपसे यह अपेक्षा करता हूँ कि उक्त बिन्दुओं के संबंध में संस्था की आम सभा आहूत कर आम सभा के समक्ष यह सूचना-पत्र विचारार्थ रख कर एक माह के भीतर इस कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष समर्थन करें. अनुपस्थिति की दशा में यह माना जावेगा कि आपको उक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है. तदानुसार प्रस्तावित कार्यवाही का आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 09 अगस्त, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(699-K)

टिम्बर व्यवसाय सहकारी समिति मर्या., छतरपुर (जिसे आगे केवल संस्था कहा गया) पंजीयन दिनांक से निष्क्रिय होने तथा सदस्यों द्वारा कारोबार में रुचि न लेने के कारण सहायक पंजीयक (अंके.) सहकारी संस्थाएं, छतरपुर के द्वारा परिसमापन में लाये जाने की अनुशंसा की गई थी. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) के प्रतिवेदन के आधार पर संस्था को कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परि./2016/494, दिनांक 05 मई, 2016 के द्वारा सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत् परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर एक माह तक जवाब/उत्तर चाहा था. परन्तु संस्था की ओर से दो महा से अधिक समय व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी कोई जवाब/उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही कोई उपस्थित हुआ. इससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था के संचालक मण्डल को कारण बताओ सूचना-पत्र वर्णित आरोपों के संबंध में अपने पक्ष समर्थन में कुछ नहीं कहना है तथा वे संस्था को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही से सहमत हैं. चूंकि संस्था के सदस्यों को संस्था के कार्य संचालन में कोई रुचि नहीं है तथा संस्था विगत तीन वर्षों से अकार्यशील एवं निष्क्रिय है. अत: ऐसी संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अत: मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, अखिलेश कुमार निगम, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, छतरपुर, टिम्बर व्यवसाय सहकारी समिति मर्या., छतरपुर को परिसमापन में लाता हूँ तथा सहकारी अधिनियम की धारा-70 (1) के तहत् श्री बी. के. रूसिया, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 03 अगस्त, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

अखिलेश कुमार निगम,
डिप्टी-रजिस्ट्रार.

(699-L)

कार्यालय परिसमापक जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्या., रतलाम

रतलाम, दिनांक 29 अगस्त, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी/ग) के अन्तर्गत]

क्र./परि.2016/77.—जिला सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक मर्या., रतलाम, पंजीयन क्रमांक/आर.सी.एल.एम./एच.ओ./77, दिनांक 25 फरवरी, 1962 है, को संयुक्त आयुक्त सहकारिता एवं संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, उज्जैन के आदेश क्र/विधि/2016/163, दिनांक 09 फरवरी, 2016 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम क्रमांक 57 (सी/ग) के अंतर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो, तो मुझे लिखित रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में लेनदार किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि 2 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा मय प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया हैं.

बी. एस. कोठारी,
परिसमापक.

(700)

कार्यालय सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां, पन्ना, जिला पन्ना

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1), (2) के अन्तर्गत]

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परि./07/दिनांक 21 सितम्बर, 2007 के द्वारा ईंधन अपूर्ति सहकारी समिति मर्या., रानीपुर, तहसील पबई, जिला पन्ना (म.प्र.) जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर.पी./576, दिनांक 26 दिसम्बर, 2003 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत में परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत संशोधित आदेश क्रमांक/998, दिनांक 31 जुलाई, 2015 द्वारा श्री आर. के. अग्रवाल, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था. परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन इस कार्यालय में 06 अगस्त, 2016 को प्रस्तुत किया है.

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. अत: संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से में इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत पंजीयक की शक्तियां, जो मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग (मंत्रालय) की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त है का प्रयोग करते हुये मैं, दीप्ति वनवासी, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, पन्ना जिला पन्ना, ईंधन अपूर्ति सहकारी समिति मर्या., रानीपुर, तहसील पबई, जिला पन्ना का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निगम निकाय (बॉडी कॉरपोरेट) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 11 अगस्त, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

दीप्ति वनवासी,
सहायक पंजीयक.

(701)

कार्यालय परिसमापक एवं उप-अंकेक्षक, सहकारी संस्थायें, जिला उज्जैन

उज्जैन, दिनांक 04 अगस्त, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

सर्व-साधारण की जानकारी के लिए यह विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती है कि कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, उज्जैन के आदेशानुसार मुझे निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं का परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्रमांक	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापक की नियुक्ति क्रमांक व दिनांक	परिसमापन में लाने का आदेश क्रमांक व दिनांक
1.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., धुरेरी	406/24-11-1976	1673/23-07-2016	1673/23-07-2016
2.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., गजनीखेडी	538/16-12-1981	1673/23-07-2016	1673/23-07-2016

अत: मैं, एस. एल. चौहान, सहकारी निरीक्षक, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-71 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम-57 (सी) के अनुसार सर्व-साधारण की जानकारी के लिए सूचना प्रकाशित करता हूँ कि उक्त संस्था के विरुद्ध किसी भी व्यक्ति/संस्था का कोई लेना-देना हो तो वे इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के दो माह के अन्दर अपने दावे/आपत्ति प्रमाण सहित मुझे कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन में प्रस्तुत करें. उक्त अवधि में पेश न होने वाले दावे/आपत्ति या स्वत्व के संबंध में कोई सुनवाई नहीं होगी तथा जो भी रिकार्ड उपलब्ध होगा उसके आधार अनुसार ही कार्यवाही की जाकर उक्त संस्था के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही हेतु अंतिम प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा.

यह भी सूचित किया जाता है कि किसी व्यक्ति/सदस्यों/भूतपूर्व पदाधिकारियों/प्रबंधक के पास इस समिति की कोई लेखा पुस्तिका, रोकड, चल-अचल सम्पत्तियों या अन्य कोई भी सामान अथवा रिकार्ड आदि हो तो इस सूचना के प्रकाशित होने के एक माह के अंदर मुझे प्रस्तुत करके रसीद प्राप्त करें, अन्यथा निश्चित अवधि व्यतीत होने के बाद किसी भी व्यक्ति के पास इस समिति का उपरोक्त रिकार्ड होने की जानकारी मिली तो उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, जिसका दायित्व स्वयं का होगा.

यह सम्यक सूचना आज दिनांक 04 अगस्त, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं मुद्रा से जारी की गई है.

एस. एल. चौहान,
परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

(702)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 29 जुलाई, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र.उपज/परि./2016/1926.—कार्यालयीन आदेश क्र./उपज/परि./3059, दिनांक 31 जुलाई, 1999 के द्वारा सर्वोदय गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या., जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 100 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी. संस्था के वर्तमान परिसमापक गीतांजली सेन, सहकारी निरीक्षक द्वारा संस्था के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण, सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता जबलपुर से कराये जाने के उपरांत परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर एवं संस्था की अंकेक्षण टीप में व प्रतिवेदन में संस्था के पास कोई भूमि न होने से संस्था में अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, शिवम मिश्रा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए सर्वोदय गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या., जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 100 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 29 जुलाई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(703)

जबलपुर, दिनांक 29 जुलाई, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र.उपज/परि./2016/1927.—कार्यालयीन आदेश क्र./उपज/परि./1627, दिनांक 02 जुलाई, 2013 के द्वारा श्री सांई महिला प्राथ. उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., कटंगी, जिला जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 1717 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी. संस्था के वर्तमान परिसमापक सोनीलाल गौड, सहकारी निरीक्षक द्वारा संस्था के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण, सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता जबलपुर से कराये जाने के उपरांत परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर एवं संस्था की अंकेक्षण टीप में व प्रतिवेदन में संस्था के पास कोई भूमि न होने से संस्था में अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, शिवम मिश्रा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री सांई महिला प्राथ. उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., कटंगी, जिला जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 1717 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 29 जुलाई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

शिवम मिश्रा,
उप-पंजीयक.

(703-A)

कार्यालय परिसमापक व वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, सहकारी संस्थाएं, जिला अलीराजपुर

अलीराजपुर, दिनांक 30 मई, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1960 के नियम-57 (1) सी/ग के अंतर्गत]

क्र./परि./2015/क्यू..—कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला अलीराजपुर के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत निम्न सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्रमांक	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापक नियुक्त आदेश क्रमांक/दिनांक
1.	चेतना बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कुण्डवाट	05/25-08-2010	277/06-05-2015
2.	आजीविका बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कट्ठीवाड़ा	07/21-12-2010	278/06-05-2015

अत: मैं, ओ. पी. यादव, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, कार्यालय उपायुक्त सहकारी संस्थाएं, जिला अलीराजपुर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम-57 (1) सी/ग के अन्तर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों/ सदस्यों को सूचित करता हूँ कि जिस किसी के पास संस्था के दावा, आपत्तियाँ या रिकार्ड या राशि लेनदारी/देनदारी शेष हो, तो वे सूचना-पत्र जारी होने के दिनांक से दो माह के अंदर (60 दिवस के अन्दर) मुझे कार्यालय उपायुक्त सहकारी संस्थाएं, जिला अलीराजपुर (उमराली रोड, एस. पी. कार्यालय के सामने) में उपस्थित होकर प्रमाण सहित लिखित में प्रस्तुत करें. उक्त समयावधि पश्चात् दावे आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा तथा संस्था के परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया जावेगा. यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त संस्थाओं के भूतपूर्व या वर्तमान कर्मचारी/सदस्य के पास संस्था का कोई भी रिकार्ड/परिसम्पत्ति/नगदी हो तो उसे उक्त अवधि में मेरे पास जमा करा देवें अन्यथा उनके विरुद्ध कार्यवाही की जावेगी.

ओ. पी. यादव ,
परिसमापक एवं वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक.

(704)

कार्यालय परिसमापक व वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, सहकारी संस्थाएं, जिला अलीराजपुर

अलीराजपुर, दिनांक 30 मई, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1960 के नियम-57 (1) सी/ग के अंतर्गत]

क्र./परि./2015/क्यू..—कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला अलीराजपुर के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत निम्न सहकारी संस्था को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्रमांक	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक/दिनांक
1.	आदर्श बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., धामन्दा	49/08-07-2014	276/06-05-2015

अत: मैं, बी. एस. सोलंकी, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, कार्यालय उपायुक्त सहकारी संस्थायें, जिला अलीराजपुर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम-57 (1) सी/ग के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों/ सदस्यों को सूचित करता हूँ कि जिस किसी के पास संस्था के दावा, आपत्तियाँ या रिकार्ड या राशि लेनदारी/देनदारी शेष हो, तो वे सूचना-पत्र जारी होने के दिनांक से दो माह के अंदर (60 दिवस के अन्दर) मुझे कार्यालय उपायुक्त सहकारी संस्थाएं, जिला अलीराजपुर (उमराली रोड, एस. पी. कार्यालय के सामने) में उपस्थित होकर प्रमाण सहित लिखित में प्रस्तुत करें. उक्त समयावधि पश्चात् दावे आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा तथा संस्था के परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया जावेगा. यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त संस्थाओं के भूतपूर्व या वर्तमान कर्मचारी/ सदस्य के पास संस्था का कोई भी रिकार्ड/परिसम्पत्ति/नगदी हो तो उसे उक्त अवधि में मेरे पास जमा करा देवें अन्यथा उनके विरुद्ध कार्यवाही की जावेगी.

बी. एस. सोलंकी,

(705) परिसमापक एवं वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक.

कार्यालय परिसमापक व वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, सहकारी संस्थाएं, जिला अलीराजपुर

अलीराजपुर, दिनांक 30 मई, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1960 के नियम-57 (1) सी/ग के अंतर्गत]

क्र./परि./2015/क्यू..—कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला अलीराजपुर के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत निम्न सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्रमांक	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक/दिनांक
1.	आजाद महिला साख सहकारी संस्था मर्या., च. शे. आजाद नगर	42/08-07-2014	273/06-05-2015
2.	गांधी महिला साख सहकारी संस्था मर्या., धनपुर	36/08-07-2014	280/06-05-2015

अत: मैं, आर. के. वासन्दे, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, कार्यालय उपायुक्त सहकारी संस्थायें, जिला अलीराजपुर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम-57 (1) सी/ग के अन्तर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों/ सदस्यों को सूचित करता हूँ कि जिस किसी के पास संस्था के दावा, आपत्तियाँ या रिकार्ड या राशि लेनदारी/देनदारी शेष हो, तो वे सूचना-पत्र जारी होने के दिनांक से दो माह के अंदर (60 दिवस के अन्दर) मुझे कार्यालय उपायुक्त सहकारी संस्थाएं, जिला अलीराजपुर (उमराली रोड, एस. पी. कार्यालय के सामने) में उपस्थित होकर प्रमाण सहित लिखित में प्रस्तुत करें. उक्त समयावधि पश्चात् दावे आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा तथा संस्था के परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया जावेगा. यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त संस्थाओं के भूतपूर्व या वर्तमान कर्मचारी/ सदस्य के पास संस्था का कोई भी रिकार्ड/परिसम्पत्ति/नगदी हो तो उसे उक्त अवधि में मेरे पास जमा करा देवें अन्यथा उनके विरुद्ध कार्यवाही की जावेगी.

आर के वासन्दे ,

(706) परिसमापक एवं वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक.

कार्यालय परिसमापक व वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, सहकारी संस्थाएं, जिला अलीराजपुर

अलीराजपुर, दिनांक 30 मई, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1960 के नियम-57 (1) सी/ग के अंतर्गत]

क्र./परि./2015/क्यू..—कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला अलीराजपुर के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960

की धारा-69 के अंतर्गत निम्न सहकारी संस्था को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्रमांक	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापक नियुक्त आदेश क्रमांक/दिनांक
1.	गायत्री महिला औद्योगिक सहकारी संस्था मर्या., जोबट	41/08-07-2014	274/06-05-2015

अत: मैं, श्याम छत्तरी, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, कार्यालय उपायुक्त सहकारी संस्थायें, जिला अलीराजपुर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम-57 (1) सी/ग के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों/ सदस्यों को सूचित करता हूँ कि जिस किसी के पास संस्था के दावा, आपत्तियाँ या रिकार्ड या राशि लेनदारी/देनदारी शेष हो, तो वे सूचना-पत्र जारी होने के दिनांक से दो माह के अंदर (60 दिवस के अन्दर) मुझे कार्यालय उपायुक्त सहकारी संस्थाएं, जिला अलीराजपुर (उमराली रोड, एस. पी. कार्यालय के सामने) में उपस्थित होकर प्रमाण सहित लिखित में प्रस्तुत करें. उक्त समयावधि पश्चात् दावे आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा तथा संस्था के परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया जावेगा. यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त संस्थाओं के भूतपूर्व या वर्तमान कर्मचारी/सदस्य के पास संस्था का कोई भी रिकार्ड/परिसम्पत्ति/नगदी हो तो उसे उक्त अवधि में मेरे पास जमा करा देवें अन्यथा उनके विरुद्ध कार्यवाही की जावेगी.

श्याम छत्तरी,

(707) परिसमापक एवं वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक.

कार्यालय परिसमापक व वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, सहकारी संस्थाएं, जिला अलीराजपुर

अलीराजपुर, दिनांक 30 मई, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1960 के नियम-57 (1) सी/ग के अंतर्गत]

क्र./परि./2015/क्यू..—कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला अलीराजपुर के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत निम्न सहकारी संस्था को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्रमांक	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापक नियुक्त आदेश क्रमांक/दिनांक
1.	आदिवासी चेतना उन्नत बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कुम्भी	09/26-02-2011	279/06-05-2015

अत: मैं, कमलसिंह गार्डे, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, कार्यालय उपायुक्त सहकारी संस्थायें, जिला अलीराजपुर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम-57 (1) सी/ग के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों/ सदस्यों को सूचित करता हूँ कि जिस किसी के पास संस्था के दावा, आपत्तियाँ या रिकार्ड या राशि लेनदारी/देनदारी शेष हो, तो वे सूचना-पत्र जारी होने के दिनांक से दो माह के अंदर (60 दिवस के अन्दर) मुझे कार्यालय उपायुक्त सहकारी संस्थाएं, जिला अलीराजपुर (उमराली रोड, एस. पी. कार्यालय के सामने) में उपस्थित होकर प्रमाण सहित लिखित में प्रस्तुत करें. उक्त समयावधि पश्चात् दावे आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा तथा संस्था के परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया जावेगा. यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त संस्थाओं के भूतपूर्व या वर्तमान कर्मचारी/सदस्य के पास संस्था का कोई भी रिकार्ड/परिसम्पत्ति/नगदी हो तो उसे उक्त अवधि में मेरे पास जमा करा देवें अन्यथा उनके विरुद्ध कार्यवाही की जावेगी.

कमलसिंह गार्डे,

(708) परिसमापक एवं वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक.

कार्यालय परिसमापक व वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, सहकारी संस्थाएं, जिला अलीराजपुर

अलीराजपुर, दिनांक 30 मई, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1960 के नियम-57 (1) सी/ग के अंतर्गत]

क्र./परि./2015/क्यू..—कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला अलीराजपुर के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत निम्न सहकारी संस्था को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्रमांक	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापक नियुक्त आदेश क्रमांक/दिनांक
1.	मालगढ़ महिला साख सहकारी संस्था मर्या., मालवई	37/08-07-2014	270/06-05-2015

अतः मैं, व्हाय. एस. वाघेला, सहकारी निरीक्षक, कार्यालय उपायुक्त सहकारी संस्थायें, जिला अलीराजपुर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम-57 (1) सी/ग के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों/ सदस्यों को सूचित करता हूँ कि जिस किसी के पास संस्था के दावा, आपत्तियाँ या रिकार्ड या राशि लेनदारी/देनदारी शेष हो, तो वे सूचना-पत्र जारी होने के दिनांक से दो माह के अंदर (60 दिवस के अन्दर) मुझे कार्यालय उपायुक्त सहकारी संस्थाएं, जिला अलीराजपुर (उमराली रोड, एस. पी. कार्यालय के सामने) में उपस्थित होकर प्रमाण सहित लिखित में प्रस्तुत करें. उक्त समयावधि पश्चात् दावे आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा तथा संस्था के परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया जावेगा. यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त संस्थाओं के भूतपूर्व या वर्तमान कर्मचारी/सदस्य के पास संस्था का कोई भी रिकार्ड/परिसम्पत्ति/नगदी हो तो उसे उक्त अवधि में मेरे पास जमा करा देवें अन्यथा उनके विरुद्ध कार्यवाही की जावेगी.

व्हाय. एस. वाघेला,

(709) परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

कार्यालय परिसमापक व वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, सहकारी संस्थाएं, जिला अलीराजपुर

अलीराजपुर, दिनांक 30 मई, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1960 के नियम-57 (1) सी/ग के अंतर्गत]

क्र./परि./2015/क्यू..—कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला अलीराजपुर के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत निम्न सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्रमांक	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापक नियुक्त आदेश क्रमांक/दिनांक
1.	सरस्वती महिला साख सहकारी संस्था मर्या., जवानिया	38/08-07-2014	271/06-05-2015
2.	प्रगातिशील महिला साख सहकारी संस्था मर्या., कालियावाव	39/08-07-2014	272/06-05-2015
3.	आजीविका बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., भामरा	46/08-07-2014	556/22-02-2016

अतः मैं, अमितसिंह, सहकारी निरीक्षक, कार्यालय उपायुक्त सहकारी संस्थायें, जिला अलीराजपुर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम-57 (1) सी/ग के अन्तर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों/ सदस्यों को सूचित करता हूँ कि जिस किसी के पास संस्था के दावा, आपत्तियाँ या रिकार्ड या राशि लेनदारी/देनदारी शेष हो, तो वे सूचना-पत्र जारी होने के दिनांक से दो माह के अंदर (60 दिवस के अन्दर) मुझे कार्यालय उपायुक्त सहकारी संस्थाएं, जिला अलीराजपुर (उमराली रोड, एस. पी. कार्यालय के सामने) में उपस्थित होकर प्रमाण सहित लिखित में प्रस्तुत करें. उक्त समयावधि पश्चात् दावे आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा तथा संस्था के परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया जावेगा. यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त संस्थाओं के भूतपूर्व या वर्तमान कर्मचारी/सदस्य के पास संस्था का कोई भी रिकार्ड/परिसम्पत्ति/नगदी हो तो उसे उक्त अवधि में मेरे पास जमा करा देवें अन्यथा उनके विरुद्ध कार्यवाही की जावेगी.

अमितसिंह ,

(710) परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

कार्यालय परिसमापक व उप-अंकेक्षक, सहकारी संस्थाएं, जिला अलीराजपुर

अलीराजपुर, दिनांक 30 मई, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1960 के नियम-57 (1) सी/ग के अंतर्गत]

क्र./परि./2015/क्यू..—कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला अलीराजपुर के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत निम्न सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्रमांक	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापक नियुक्त आदेश क्रमांक/दिनांक
1.	श्री देवी अहिल्या बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बुरमा	48/08-07-2014	275/06-05-2015

अतः मैं, विजय दिशोरिया, उप-अंकेक्षक, कार्यालय उपायुक्त सहकारी संस्थायें, जिला अलीराजपुर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम-57 (1) सी/ग के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों/ सदस्यों को सूचित करता हूँ कि जिस किसी के पास संस्था के दावा, आपत्तियाँ या रिकार्ड या राशि लेनदारी/देनदारी शेष हो, तो वे सूचना-पत्र जारी होने के दिनांक से दो माह के अंदर (60 दिवस के अन्दर) मुझे कार्यालय उपायुक्त सहकारी संस्थाएं, जिला अलीराजपुर (उमराली रोड, एस. पी. कार्यालय के सामने) में उपस्थित होकर प्रमाण सहित लिखित में प्रस्तुत करें. उक्त समयावधि पश्चात् दावे आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा तथा संस्था के परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन

निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया जावेगा. यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त संस्था के भूतपूर्व या वर्तमान कर्मचारी/सदस्य के पास संस्था का कोई भी रिकार्ड/परिसम्पत्ति/नगदी हो तो उसे उक्त अवधि में मेरे पास जमा करा देवें अन्यथा उनके विरुद्ध कार्यवाही की जावेगी.

विजय दिशोरिया,

(711) परिसमापक एवं उप अंकेक्षक.

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम-1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत]

अन्नपूर्णा गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन, पंजीयन क्रमांक 101, दिनांक 13 जून, 1985 आदेश क्रमांक/परि./2815, दिनांक 03 अगस्त, 2015 से परिसमापन में लाया जाकर श्री एम. के. गुप्ता, व. स. नि. को परिसमापक नियुक्त किया गया था. परिसमापन में लाये जाने का कारण संस्था द्वारा वार्षिक साधारण सभा आहूत नहीं किया जाना तथा समपरीक्षक की नियुक्ति नहीं किया जाना है.

संस्था के अपिलार्थी गण द्वारा उक्त परिसमापन आदेश के विरुद्ध अधिनियम, की धारा-78 के तहत् न्यायालय संयुक्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं, उज्जैन सम्भाग, उज्जैन के समक्ष अपिल प्रस्तुत की गई. जिसमें न्यायालय द्वारा दिनांक 13 जनवरी, 2016 को अपिलार्थीगण संस्था का जारी कारण बताओ सूचना-पत्र के संबंध में विधिवत सुनवाई का अवसर देने का आदेश पारित किया गया. आदेश के परिपालन में संस्था अध्यक्ष प्रबंधक को कार्यालयीन पत्र क्र./परि./118, दिनांक 19 जनवरी, 2016 से अधिनियम की धारा-69 (3) के अन्तर्गत धारा-49 के प्रावधान अनुसार वर्ष 2012-13, 2013-14 एवं 2014-15 में वार्षिक साधारण सभा आहूत नहीं किया जाकर समपरीक्षक की नियुक्ति नहीं किये जाने तथा संस्था अकार्यशील होने से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर दिनांक 08 फरवरी, 2016 तक जवाब चाहा गया था. जिसके परिपालन में नियत दिनांक को संस्था अध्यक्ष द्वारा उक्त वर्षों की वार्षिक साधारण सभा तथा अंकेक्षण प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाकर परिसमापन की कार्यवाही निरस्त करने का निवेदन किया गया है.

अत: संस्था के जवाब से सहमत होते हुए सहकारिता के सिद्धातों संस्था एवं सदस्यों के हित में परिसमापन संबंधी आदेश को निरस्त करना आवश्यक प्रतीत होता है. अत: मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, उज्जैन मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के अंतर्गत पंजीयक को प्रदत्त एवं मुझमें वेष्ठित शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस कार्यालय के परिसमापन आदेश क्रमांक/परि./2815, दिनांक 03 अगस्त, 2015 को निरस्त कर अन्नपूर्णा गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन, पंजीयन क्रमांक 101, दिनांक 13 जून, 1985 के पूर्व संचालक मण्डल शेष कार्यकाल के लिए अधिकृत रहेगा.

यह आदेश आज दिनांक 12 अगस्त, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(691)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम-1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत]

शेषशाही गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., नागदा, पंजीयन क्रमांक 137, दिनांक 29 सितम्बर, 1988 आदेश क्रमांक/परि./2815, दिनांक 03 अगस्त, 2015 से परिसमापन में लाया जाकर श्री एम. के. गुप्ता, व. स. नि. को परिसमापक नियुक्त किया गया था. परिसमापन में लाये जाने का कारण संस्था द्वारा वार्षिक साधारण सभा आहूत नहीं किया जाना तथा समपरीक्षक की नियुक्ति नहीं किया जाना है.

संस्था के अपिलार्थी गण द्वारा उक्त परिसमापन आदेश के विरुद्ध अधिनियम, की धारा-78 के तहत् न्यायालय संयुक्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं, उज्जैन सम्भाग, उज्जैन के समक्ष अपिल प्रस्तुत की गई. जिसमें न्यायालय द्वारा दिनांक 13 जनवरी, 2016 को अपिलार्थीगण संस्था का जारी कारण बताओ सूचना-पत्र के संबंध में विधिवत सुनवाई का अवसर देने का आदेश पारित किया गया. आदेश के परिपालन में संस्था अध्यक्ष प्रबंधक को कार्यालयीन पत्र क्र./परि./117, दिनांक 19 जनवरी, 2016 से अधिनियम की धारा-69 (3) के अन्तर्गत धारा-49 के प्रावधान अनुसार वर्ष 2012-13, 2013-14 एवं 2014-15 में वार्षिक साधारण सभा आहूत नहीं किया जाकर समपरीक्षक की नियुक्ति नहीं किये जाने तथा संस्था अकार्यशील होने से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर दिनांक 08 फरवरी, 2016 तक जवाब चाहा गया था. जिसके परिपालन में नियत दिनांक को संस्था अध्यक्ष द्वारा उक्त वर्षों की वार्षिक साधारण सभा तथा अंकेक्षण प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाकर परिसमापन की कार्यवाही निरस्त करने का निवेदन किया गया है.

अत: संस्था के जवाब से सहमत होते हुए सहकारिता के सिद्धातों संस्था एवं सदस्यों के हित में परिसमापन संबंधी आदेश को निरस्त करना आवश्यक प्रतीत होता है. अत: मैं, डॉ मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, उज्जैन मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के अंतर्गत पंजीयक को प्रदत्त एवं मुझमें वेष्ठित शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस कार्यालय के परिसमापन आदेश क्रमांक/परि./2815, दिनांक 03 अगस्त, 2015 को निरस्त कर शेषशाही गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., नागदा, पंजीयन क्रमांक 137, दिनांक 29 सितम्बर, 1988 के पूर्व संचालक मण्डल शेष कार्यकाल के लिए अधिकृत रहेगा.

यह आदेश आज दिनांक 12 अगस्त, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

मनोज जायसवाल,

(691-A) उप-पंजीयक.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन-सामग्री, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा प्रकाशित तथा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, ग्वालियर द्वारा मुद्रित-2016.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 38] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 16 सितम्बर 2016-भाद्र 25, शके 1938

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त, मध्यप्रदेश

मौसम, फसल एवं पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 01 जून, 2016

1. **मौसम एवं वर्षा.**—राज्य में इस सप्ताह मौसम शुष्क रहा है तथा राज्य के निम्नलिखित जिलों में वर्षा का होना पाया गया है.—

(अ) 01 मि. मी. से 17.4 मि. मी. तक.—तहसील कराहल, विजयपुर (श्योपुर), अटेर, भिण्ड, मेहगांव, लहार, मिहोना (भिण्ड), ग्वालियर (ग्वालियर), पृथ्वीपुर, जतारा, वल्देवगढ़, पलेरा (टीकमगढ़), लवकुशनगर, गौरीहार, छतरपुर, राजनगर, बिजावर, बड़ामल्हरा, बक्स्वाहा (छतरपुर), अजयगढ़, पन्ना, गुन्नौर, पवई, शाहनगर (पन्ना), बीना, बंडा, रेहली, केसली, मालथोन (सागर), हटा, पथरिया (दमोह), रघुराजनगर, उचेहरा, अमरपाटन, रामनगर, बिरसिंहपुर (सतना), सोहागपुर, जैसिंहनगर, बुढार, जैतपुर (शहडोल), जैतहरी, अनूपपुर, कोतमा, पुष्पराजगढ़ (अनूपपुर), गोपदबनास, कुसमी (सीधी), थांदला, मेघनगर, झाबुआ (झाबुआ) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

(ब) 17.5 मि. मी. से 34.9 मि. मी. तक.—तहसील श्योपुर (श्योपुर), गोहद (भिण्ड), टीकमगढ़, ओरछा (टीकमगढ़), नौगांव (छतरपुर), सागर (सागर), दमोह (दमोह), ब्यौहारी (शहडोल), पेटलावद (झाबुआ) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

(द) 53.2 मि. मी. से 244.9 मि. मी. तक.—तहसील निवाड़ी (टीकमगढ़) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

2. **जुताई.**— जिला ग्वालियर, दमोह, मंदसौर, झाबुआ, खरगौन, बड़वानी, बुरहानपुर, भोपाल, बैतूल, सीहोर व सिवनी में खरीफ फसलों की जुताई का कार्य चालू है.

3. **बोनी.**— . .

4. **फसल स्थिति.**— . .

5. **कटाई.**— . .

6. **सिंचाई.**—जिला ग्वालियर, दतिया, टीकमगढ़, पन्ना, सागर, दमोह, रीवा, शहडोल, उमरिया, सिंगरौली, झाबुआ, बड़वानी, बुरहानपुर, डिण्डोरी, छिन्दवाड़ा व सिवनी में सिंचाई हेतु पानी कहीं-कहीं अपर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

7. **पशुओं की स्थिति.**—राज्य के प्राय: सभी जिलों में पशुओं की स्थिति संतोषप्रद है.

8. **चारा.**—राज्य के प्राय: सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

9. **बीज.**—राज्य के प्राय: सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

10. **खेतिहर श्रमिक.**—राज्य के प्राय: सभी जिलों में खेतिहर श्रमिक पर्याप्त संख्या व उचित दर पर उपलब्ध हैं.

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 01 जून, 2016

जिला/तहसीलें	1.सप्ताह में हुई वर्षा:- (अ) वर्षा का माप (मि. मी.) में (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव:- (अ) प्रारम्भिक जुताई पर. (ब) बोनी पर. (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर, रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में :- (1) फसल का क्षेत्रफल - (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई. (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिये पानी (कम अथवा अधिक). 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि-सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
1	2	3	4	5	6
***जिला मुरैना :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. अम्बाह	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. पोरसा	. .		(2) . .		
3. मुरैना	. .				
4. जौरा	. .				
5. सबलगढ़	. .				
6. कैलारस	. .				
जिला श्योपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. श्योपुर	18.0		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. कराहल	8.0		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. विजयपुर	2.0				
जिला भिण्ड :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. . .
1. अटेर	5.0		4. (1) गेहूँ, चना, राई-सरसों समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. भिण्ड	13.0		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. गोहद	24.0				
4. मेहगांव	11.0				
5. लहार	13.0				
6. मिहोना 7. रौन	8.0				
जिला ग्वालियर :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. . .
1. ग्वालियर	2.3		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. डबरा	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. भितरवार	. .				
4. घाटीगांव	. .				
जिला दतिया :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. . .
1. सेवढ़ा	. .		4. (1) गेहूँ, चना, मटर, जौ, सरसों, मसूर, गन्ना समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. दतिया	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. भाण्डेर	. .				
जिला शिवपुरी :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. शिवपुरी	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पिछोर	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. खनियाधाना	. .				
4. नरवर	. .				
5. करैरा	. .				
6. कोलारस	. .				
7. पोहरी	. .				
8. बदरवास	. .				

1	2	3	4	5	6
जिला अशोकनगर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. . .
1. मुँगावली	. .		4. (1) सोयाबीन, मक्का अधिक उड़द,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. ईसागढ़	. .		गन्ना, गेहूँ, चना कम.	चारा पर्याप्त.	
3. अशोकनगर	. .		(2) . .		
4. चन्देरी	. .				
5. शाढौरा	. .				
जिला गुना :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. गुना	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. राघोगढ़	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. बमोरी	. .				
4. आरोन	. .				
5. चाचौड़ा	. .				
6. कुम्भराज	. .				
जिला टीकमगढ़ :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. निवाड़ी	64.0		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पृथ्वीपुर	11.0		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. जतारा	10.0				
4. टीकमगढ़	22.0				
5. बल्देवगढ़	5.5				
6. पलेरा	2.0				
7. ओरछा	20.0				
जिला छतरपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. . .	7. पर्याप्त.
1. लवकुशनगर	8.0		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. गौरीहार	8.0		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. नौगांव	18.1				
4. छतरपुर	11.8				
5. राजनगर	9.6				
6. बिजावर	16.0				
7. बड़ामलहरा	4.6				
8. बकस्वाहा	9.6				
जिला पन्ना :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. . .
1. अजयगढ़	5.6		4. (1) धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, तुअर,	6. संतोषप्रद,	8. . .
2. पन्ना	3.0		उड़द, मूंग, सोयाबीन, तिल, गेहूँ,	चारा पर्याप्त.	
3. गुन्नौर	2.0		चना, जौ, राई-सरसों, अलसी,		
4. पवई	6.0		मसूर, मटर, प्याज.		
5. शाहनगर	4.0		(2) . .		
जिला सागर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बीना	4.2		4. (1) गेहूँ, जौ, चना, मटर, मसूर, तेवड़ा,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खुरई	. .		राई-सरसों, अलसी, आलू, प्याज कम.	चारा पर्याप्त.	
3. बण्डा	5.4		(2) . .		
4. सागर	19.0				
5. रेहली	3.0				
6. देवरी	. .				
7. गढ़ाकोटा	. .				
8. राहतगढ़	. .				
9. केसली	4.6				
10. मालथोन	8.2				
11. शाहगढ़	. .				

1	2	3	4	5	6
जिला दमोह :	मिलीमीटर	2. खरीफ फसलों की जुताई का कार्य चालू है.	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. हटा	6.0		4. (1) मूँग, उड़द, गन्ना, मक्का समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. बटियागढ़	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. दमोह	22				
4. पथरिया	13				
5. जवेरा	. .				
6. तेन्दूखेड़ा	. .				
7. पटेरा	. .				
जिला सतना :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. . .	7. . .
1. रघुराजनगर	3.4		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. मझगवां	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. रामपुर-बघेलान	. .				
4. नागौद	. .				
5. उचेहरा	2.0				
6. अमरपाटन	15.0				
7. रामनगर	13.0				
8. मैहर	. .				
9. बिरसिंहपुर	5.0				
जिला रीवा :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. त्यौंथर	. .		4. (1) चना, जौ, राई-सरसों अधिक. गेहूँ	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सिरमौर	. .		कम. मसूर, अलसी समान.	चारा पर्याप्त.	
3. मऊगंज	. .		(2) . .		
4. हनुमना	. .				
5. हजूर	. .				
6. गुढ़	. .				
7. रायपुरकर्चुलियान	. .				
जिला शहडोल :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सोहागपुर	13.0		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. ब्यौहारी	30.0		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. जैसिंहनगर	2.0				
4. बुढ़ार	9.5				
5. जैतपुर	14.0				
जिला अनूपपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जैतहरी	1.1		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. अनूपपुर	1.2		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. कोतमा	3.7				
4. पुष्पराजगढ़	13.0				
जिला उमरिया :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. . .
1. बांधवगढ़	. .		4. (1) तुअर अधिक. गेहूँ, चना, मसूर,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पाली	. .		राई-सरसों, अलसी कम.	चारा पर्याप्त.	
3. मानपुर	. .		(2) . .		

1	2	3	4	5	6
जिला सीधी :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. गोपदवनास	7.8		4. (1)चना, अलसी, राई-सरसों, गेहूँ, मसूर, जौ समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सिंहावल	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. मझौली	. .				
4. कुसमी	2.0				
5. चुरहट	. .				
6. रामपुरनैकिन	. .				
जिला सिंगरौली :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. चितरंगी	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. देवसर	. .		(2) . .		
3. सिंगरौली	. .				
जिला मन्दसौर :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. . .	5. . .	7. . .
1. सुवासरा-टप्पा	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. भानपुरा	. .		(2) . .		
3. मल्हारगढ़	. .				
4. गरोठ	. .				
5. मन्दसौर	. .				
6. श्यामगढ़	. .				
7. सीतामऊ	. .				
8. धुन्धड़का	. .				
9. संजीत	. .				
10.कयामपुर	. .				
***जिला नीमच :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. जावद	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. नीमच	. .		(2) . .		
3. मनासा	. .				
जिला रतलाम :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जावरा	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. आलोट	. .		(2) . .		
3. सैलाना	. .				
4. बाजना	. .				
5. पिपलौदा	. .				
6. रतलाम	. .				
जिला उज्जैन :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. पर्याप्त.
1. खाचरौद	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. महिदपुर	. .		(2) . .		
3. तराना	. .				
4. घटिया	. .				
5. उज्जैन	. .				
6. बड़नगर	. .				
7. नागदा	. .				
जिला आगर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. . .
1. बड़ौद	. .		4. (1) गेहूँ, चना.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सुसनेर	. .		(2) . .		
3. नलखेड़ा	. .				
4. आगर	. .				
जिला शाजापुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. मो. बड़ोदिया	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. शाजापुर	. .		(2) . .		
3. शुजालपुर	. .				
4. कालापीपल	. .				
5. गुलाना	. .				

1	2	3	4	5	6
जिला देवास :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सोनकच्छ	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. टोंकखुर्द	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. देवास	. .				
4. बागली	. .				
5. कन्नौद	. .				
6. खातेगांव	. .				
जिला झाबुआ :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. थांदला	14.2		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. मेघनगर	7.0		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. पेटलावद	27.0				
4. झाबुआ	4.4				
5. राणापुर	. .				
जिला अलीराजपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. पर्याप्त.
1. जोवट	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. अलीराजपुर	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. कट्टीवाड़ा	. .				
4. सोण्डवा	. .				
5. भामरा	. .				
जिला धार :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बदनावर	. .		4. (1) गेहूँ, चना, गन्ना अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सरदारपुर	. .		कपास कम.	चारा पर्याप्त.	
3. धार	. .		(2) . .		
4. कुक्षी	. .				
5. मनावर	. .				
6. धरमपुरी	. .				
7. गंधवानी	. .				
8. डही	. .				
जिला इन्दौर :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. देपालपुर	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सांवेर	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. इन्दौर	. .				
4. महू (डॉ. अम्बेडकरनगर)	. .				
जिला खरगौन :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़वाह	. .		4. (1) मक्का, बाजरा, अलसी, राई-सरसों	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. महेश्वर	. .		अधिक. ज्वार, धान, कपास, मूँगफली,	चारा पर्याप्त.	
3. सेगांव	. .		तुअर, गेहूँ, चना कम.		
4. खरगौन	. .		(2) . .		
5. गोगावां	. .				
6. कसरावद	. .				
7. भगवानपुरा	. .				
8. भीकनगांव	. .				
9. झिरन्या	. .				

1	2	3	4	5	6
जिला बड़वानी :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़वानी	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. . .
2. ठीकरी	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. राजकोट	. .				
4. सेंधवा	. .				
5. पानसेमल	. .				
6. पाटी	. .				
7. निवाली	. .				
***जिला खण्डवा :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. खण्डवा	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. पंधाना	. .		(2) . .		
3. हरसूद	. .				
जिला बुरहानपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बुरहानपुर	. .		4. (1) कपास, मूँगफली सुधरी हुईं.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खकनार	. .		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुईं.	चारा पर्याप्त.	
3. नेपानगर	. .				
***जिला राजगढ़ :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. जीरापुर	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. खिलचीपुर	. .		(2) . .		
3. राजगढ़	. .				
4. ब्यावरा	. .				
5. सारंगपुर	. .				
6. पचोर	. .				
7. नरसिंहगढ़	. .				
जिला विदिशा :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. लटेरी	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सिरोंज	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. कुरवाई	. .				
4. बासौदा	. .				
5. नटेरन	. .				
6. विदिशा	. .				
7. गुलाबगंज	. .				
8. ग्यारसपुर	. .				
जिला भोपाल :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बैरसिया	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. हुजूर	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
जिला सीहोर :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सीहोर	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. आष्टा	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. इछावर	. .				
4. नसरुल्लागंज	. .				
5. बुधनी	. .				

1	2	3	4	5	6
जिला रायसेन :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. पर्याप्त.
1. रायसेन	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. गैरतगंज	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. बेगमगंज	. .				
4. गौहरगंज	. .				
5. बरेली	. .				
6. सिलवानी	. .				
7. बाड़ी	. .				
8. उदयपुरा	. .				
जिला बैतूल :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य	3. कोई घटना नहीं.	5. . .	7. पर्याप्त.
1. भैंसदेही	. .	चालू है.	4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. घोड़ाडोंगरी	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. शाहपुर	. .				
4. चिचोली	. .				
5. बैतूल	. .				
6. मुलताई	. .				
7. आठनेर	. .				
8. आमला	. .				
जिला होशंगाबाद :	मिलीमीटर	2. मूंग (जायद) की कटाई	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सिवनी-मालवा	. .	का कार्य चालू है.	4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. होशंगाबाद	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. बावई	. .				
4. इटारसी	. .				
5. सोहागपुर	. .				
6. पिपरिया	. .				
7. वनखेड़ी	. .				
8. पचमढ़ी	. .				
जिला हरदा :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. हरदा	. .		4. (1) गेहूँ, चना सुधरी हुईं.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खिड़किया	. .		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुईं.	चारा पर्याप्त.	
3. टिमरनी	. .				
जिला जबलपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सीहोरा	. .		4. (1) उड़द, मूँग अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पाटन	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. जबलपुर	. .				
4. मझौली	. .				
5. कुण्डम	. .				
जिला कटनी :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. कटनी	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. रीठी	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. विजयराघौगढ़	. .				
4. बहोरीबंद	. .				
5. ढीमरखेड़ा	. .				
6. बरही	. .				

1	2	3	4	5	6
***जिला नरसिंहपुर :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. गाडरवारा	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. करेली	. .		(2) . .		
3. नरसिंहपुर	. .				
4. गोटेगांव	. .				
5. तेन्दूखेड़ा	. .				
जिला मण्डला :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. निवास	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. बिछिया	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. नैनपुर	. .				
4. मण्डला	. .				
5. घुघरी	. .				
6. नारायणगंज	. .				
जिला डिण्डोरी :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. . .
1. डिण्डोरी	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. बजाग	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. शाहपुरा	. .				
जिला छिन्दवाड़ा :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. छिन्दवाड़ा	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. जुन्नारदेव	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. परासिया	. .				
4. जामई (तामिया)	. .				
5. सोंसर	. .				
6. पांढुर्णा	. .				
7. अमरवाड़ा	. .				
8. चौरई	. .				
9. बिछुआ	. .				
10. हर्रई	. .				
11. बोलखेड़ा	. .				
जिला सिवनी :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सिवनी	. .		4. (1) गेहूँ, जौ, राजगिर, चना, मटर, मसूर,	6. . .	8. पर्याप्त.
2. केवलारी	. .		लाख, तिवड़ा, मूँग, अरण्डी,		
3. लखनादौन	. .		राई-सरसों, कुसुम, सूरजमुखी.		
4. बरघाट	. .		(2) . .		
5. उरई	. .				
6. घंसौर	. .				
7. घनोरा	. .				
8. छपारा	. .				
जिला बालाघाट :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बालाघाट	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. लाँजी	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. बैहर	. .				
4. वारासिवनी	. .				
5. कटंगी	. .				
6. किरनापुर	. .				

टीप.— *जिला मुरैना, नीमच, खण्डवा, राजगढ़, नरसिंहपुर से पत्रक अप्राप्त रहे हैं.

राजीव रंजन,
आयुक्त,
भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश.

(697)

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन-सामग्री, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा प्रकाशित तथा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, ग्वालियर द्वारा मुद्रित-2016.